

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 फरवरी 2013—माघ 26, शक 1934

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2013

क्र. ई-5-593-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अशोक कुमार बर्णवाल, आयएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ, भोपाल को दिनांक 28 जनवरी से 2 फरवरी 2013 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार बर्णवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अशोक कुमार बर्णवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक कुमार बर्णवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-781-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री आर. के. माथुर, आयएस., कमिश्नर, सागर संभाग, सागर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15 जनवरी 2013 द्वारा दिनांक 3 से 18 जनवरी 2013 तक सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 3 से 31 जनवरी 2013 तक छब्बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री आर. के. माथुर की अवकाश की अवधि में कमिश्नर, सागर संभाग, सागर का प्रभार श्री विनोद सिंह बघेल, भाप्रसे. अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के स्थान पर अब श्री योगेन्द्र शर्मा, भाप्रसे. (99) कलेक्टर, सागर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) श्री आर. के. माथुर द्वारा कमिश्नर, सागर संभाग, सागर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री योगेन्द्र शर्मा, कमिश्नर, सागर संभाग, सागर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(4) समसंख्यक आदेश दिनांक 15 जनवरी 2013 की शेष कंडिकाएं 3, 5 एवं 6 यथावत् रहेंगी।

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2013

क्र. ई-5-774-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अजीत कुमार, आयएएस., कलेक्टर, जिला सिवनी को दिनांक 11 से 15 फरवरी 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 9, 10 एवं 16, 17 फरवरी 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री अजीत कुमार की अवकाश अवधि में श्रीमती प्रियंका दास, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिवनी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला सिवनी का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला सिवनी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अजीत कुमार द्वारा कलेक्टर, जिला सिवनी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती प्रियंका दास, कलेक्टर, जिला सिवनी के प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्री अजीत कुमार को, अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-802-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आर. ए. खण्डेलवाल, आयएएस., आयुक्त-सह-संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, भोपाल को दिनांक 4 से 15 फरवरी 2013 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 3 एवं 16, 17 फरवरी 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री आर. ए. खण्डेलवाल की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्रीमती सूरज डामोर, भाप्रसे. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आर. ए. खण्डेलवाल को, अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न आयुक्त-सह-संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री आर. ए. खण्डेलवाल द्वारा आयुक्त-सह-संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती सूरज डामोर उक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्री आर. ए. खण्डेलवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. ए. खण्डेलवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-481-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री इकबाल सिंह बैस, आयएएस., पर्यावरण आयुक्त तथा पदेन प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग एवं महानिदेशक, एफको तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन तथा लोक सेवा प्रबंधन विभाग तथा महानिदेशक, स्कूल ऑफ गुड गवर्नेंस को दिनांक 23 नवम्बर 2012 (एक दिन) का अर्जित अवकाश, कार्योत्तर स्वीकृति किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री इकबाल सिंह बैस को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इकबाल सिंह बैस अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-887-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अभिजीत अग्रवाल, आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी, मैहर जिला सतना को दिनांक 28 जनवरी से 5 फरवरी 2013 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 25, 26 एवं 27 जनवरी 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अभिजीत अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, मैहर जिला सतना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अभिजीत अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिजीत अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-859-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री भरत यादव, आयएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा परियोजना संचालक, प्रोजेक्ट उदय को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 नवम्बर 2012 द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर 2012 से 1 जनवरी 2013 तक चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए उन्हें अब दिनांक 19 दिसम्बर 2012 से 2 जनवरी 2013 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश किया जाता है।

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 नवम्बर 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2013

क्र. ई-1-450-2012-5-एक.— भारतीय प्रशासनिक सेवा के आवंटन वर्ष 2000 के निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 1 जनवरी 2013 से भाप्रसे. का प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया जाता है:—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)
1	श्री शोभित जैन	अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल.
2	श्री विवेक कुमार पोरवाल	कलेक्टर, बालाघाट
3	श्री संदीप यादव	कलेक्टर, गुना
4	श्री कवीन्द्र कियावत	कलेक्टर, सीहोर
5	श्री महेश कुमार अग्रवाल	कलेक्टर, देवास
6	श्रीमती सुनीता त्रिपाठी	अपर परियोजना संचालक, माध्यमिक शिक्षा अभियान, भोपाल.
7	श्री मनोहर लाल दुबे	कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग.
8	श्रीमती रेणू पंत	संचालक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इन्दौर.
9	श्री शिवनारायण रूपला	कलेक्टर, रीवा
10	श्रीमती जयश्री कियावत	कलेक्टर, झाबुआ
11	श्री सुरेन्द्रपाल सिंह सलूजा	अपर आयुक्त (राजस्व) ग्वालियर एवं चंबल संभाग.

(1)	(2)	(3)
12	श्री अशोक देशवाल	अपर आबकारी आयुक्त, ग्वालियर.
13	श्री नीरज दुबे	कलेक्टर, खण्डवा
14	श्री अशोक कुमार सिंह	कलेक्टर, कटनी
15	श्रीमती रेणू तिवारी	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग.

2. श्री मनोहर लाल दुबे, भाप्रसे. (2000), कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफ्को) तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग को उक्त तिथि से प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप आदेश प्रसारण की तिथि से उन्हें पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग के स्थान पर पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग घोषित किया जाता है. शेष पदस्थापना यथावत रहेगी।

3. श्रीमती रेणू तिवारी, भाप्रसे. (2000), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग को उक्त तिथि से प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप आदेश प्रसारण की तिथि से स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग पदस्थ किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2013

क्र. ई-5-667-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री पी. के. पाराशर, आयएस., कमिश्नर, इन्दौर संभाग, इन्दौर को दिनांक 6 से 8 फरवरी 2013 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 9, 10 फरवरी 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री पी. के. पाराशर की अवकाश अवधि में श्रीमती राजकुमारी खन्ना, आयएस., अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कमिश्नर, इन्दौर संभाग, इन्दौर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री पी. के. पाराशर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न कमिश्नर, इन्दौर संभाग, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री पी. के. पाराशर द्वारा कमिश्नर, इन्दौर संभाग, इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती राजकुमारी खन्ना, कमिश्नर, इन्दौर संभाग, इन्दौर के प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्री पी. के. पाराशर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. के. पाराशर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-781-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री आर. के. माथुर, आयएस., कमिश्नर, सागर संभाग, सागर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 जनवरी 2013 द्वारा दिनांक 3 से 31 जनवरी 2013 तक उन्तीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 3 जनवरी से 2 फरवरी 2013 तक इकतीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 24 जनवरी 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. परशुराम, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2013

क्र. एफ-ए-5-02-2013-एक(1).—राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री ए. के. श्रीवास्तव, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	दिनांक 4-12-2012 से 7-12-2012 तक	4 दिन	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश	अवकाश के पश्चात् दिनांक 8 एवं 9 दिसम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित।

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2013

क्र. एफ-ए-5-01-2013-एक(1).—राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्रीमती एस. आर. बाघमारे, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	दिनांक 3-12-2012 से 14-12-2012 तक.	12 दिन	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	अवकाश के पूर्व में दिनांक 2-12-2012 तथा अवकाश के पश्चात् दिनांक 15 एवं 16-12-2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव।

Bhopal the 31st January 2013

No. E-1-450-2012-5-I (A).—In pursuance of Rule 5(7) of the IAS (Pay) Rules, 2007, the following IAS Officer is granted proforma promotion to the Selection Grade in IAS with effect from 1st January 2013:—

Smt. Sonali N. Vayangankar
IAS (MP: 2000)

Vice Chairman &
Managing Director,
Mahila Arthik Vikas
Mahamandal Mumbai
(Maharashtra).

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh
ANUBHA SHRIVASTAVA, Dy. Secy. (Personnel).

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2013

क्र. ई-5-864-आयएस-लीव-5-एक.—श्री विशेष गढपाले, आयएस., तत्का. उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 8 जनवरी 2013 द्वारा दिनांक 21 से 24 जनवरी 2013 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत, दिनांक 19, 20 एवं 25, 26 जनवरी 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव "कार्मिक".

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2013

क्र. एफ-5-4-2012-उन्तीस-2.—राज्य शासन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 की उपधारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए चयन समिति की सिफारिश पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम्स में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से निम्नांकित को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित जिले में सदस्य के रूप में नियुक्त करता है:—

क्रमांक	नाम	जिला
(1)	(2)	(3)
1	श्री मुक्तेश मोदी	मण्डला

2. जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे. उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे बिना उपयुक्त कारण के फोरम की बैठक में लगातार तीन बार अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जावेगी. सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2013

क्र. एफ-22-14-2000-ई-चार.—राज्य शासन द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 जनवरी 2012 में संशोधन करते हुए मध्यप्रदेश राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 (क्रमांक 63, सन् 1951) की धारा 10(ए) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राजेश चतुर्वेदी, तत्कालीन उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश के स्थान पर श्री टी. धर्मारव, उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन को मध्यप्रदेश, वित्त निगम के संचालक मण्डल में संचालक के पद हेतु तत्काल प्रभाव से नामांकित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष रस्तोगी, सचिव.

जेल विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 फरवरी 2013

क्र. 327-3636-2012-तीन-जेल.—राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश जेल मेन्यूअल के नियम 815(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय जेल, ग्वालियर के लिये श्री गोपाल झा (गुरू) पुत्र श्री राजेन्द्र झा, निवासी नारंगी बाई मंदिर के पीछे, माधौगंज, लखर, ग्वालियर को आगामी तीन वर्षों के लिये अशासकीय संदर्शक नियुक्त करता है. राज्य शासन जनहित में इस नियुक्ति को किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दशरथ कुमार, उपसचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2013

क्र. एफ-6-1-2013-50-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का सं. 56) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करती है. अर्थात्:—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	रतलाम	रतलाम	श्रीमती प्रवीणा व्यास मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट.

No. F-6-1-2013-50-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000 (No. 56 of 2000) the State Government hereby designates Judicial Officer as specified in column (4) as Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3) thereof, for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely:—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ratlam	Ratlam	Smt. Praveena Vyas Chief Judicial Magistrate.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. नायडू, प्रमुख सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2013

फा. क्र. 1(बी)-12-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा, श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री मेवालाल शर्मा, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये भिण्ड सत्र खण्ड के भिण्ड राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक तहसील लहार, जिला भिण्ड नियुक्त करता है, यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

टीप.—श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा के जन्म प्रमाण-पत्र के आधार पर उनकी जन्म तिथि 16 मई 1956 (सोलह मई उन्नीस सौ छप्पन) और उनकी 62 वर्ष की आयु दिनांक 16 मई 2018 (सोलह मई दो हजार अठ्ठारह) को पूर्ण होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2013

फा. क्र. 3(सी)-8-86-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, श्री आदित्य चौबे, अधिवक्ता, जबलपुर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (मध्यप्रदेश सीरीज) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रु. 2500/- (रुपये दो हजार पांच सौ) केवल प्रतिमाह निश्चित वेतन पर उक्त पद पर एक वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने (जो भी पहले हो) तक, नियुक्त करता है.

2. इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याया प्रशासन (102) उच्च न्यायालय (579) उच्च न्यायालय भारित (01) वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

फा. क्र. 3(सी)-8-86-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, श्री अरूण शुक्ला, अधिवक्ता, जबलपुर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (मध्यप्रदेश सीरीज) के लिए मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रु. 2500/- (रुपये दो हजार पांच सौ) केवल प्रतिमाह निश्चित वेतन पर उक्त पद पर एक वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने (जो भी पहले हो) तक, नियुक्त करता है.

2. इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याया प्रशासन (102) उच्च न्यायालय (579) उच्च न्यायालय भारित (01) वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव म. आपटे, अतिरिक्त सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सहायक श्रमायुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 29 जनवरी 2013

क्र. बफा-स.श्र.इं.-2013.—मैं, मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्र. 25 सन् 1958) की धारा 13 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-4(ए)-5-2011-ए-16, भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2011 (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 15 जुलाई 2011 में प्रकाशित) द्वारा इन्दौर जिले के स्थानीय क्षेत्रों में उक्त अधिनियम लागू किया गया है, मैं साप्ताहिक अवकाश दिवस निम्नानुसार घोषित करता हूँ:—

क्र.	जिला	स्थानीय क्षेत्र	साप्ताहिक अवकाश दिवस
(1)	(2)	(3)	(4)
1	इन्दौर	बेटमा	शनिवार

उपरोक्त क्षेत्रों के हेअर कटिंग सेलून दुकानों के लिए साप्ताहिक अवकाश दिवस मंगलवार घोषित करता हूँ.

जे. एस. उद्दे, सहायक श्रमायुक्त.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश

श्योपुर, दिनांक 28 जनवरी 2013

क्र. 18-स्थापना-स्था.अव.-51-5-2013.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 अनुक्रमांक 4 के नियम 8 के द्वारा जिला कलेक्टरों को प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, ज्ञानेश्वर बी. पाटील, कलेक्टर, जिला श्योपुर वर्ष 2013 में श्योपुर जिले के लिये निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:—

क्रमांक (1)	त्यौहार का नाम (2)	दिन (3)	दिनांक (4)	अवकाश प्रभावशील होने का क्षेत्र (5)
1	होली भाईदूज	गुरुवार	29-3-2013	संपूर्ण जिले में
2	मेला छिमछिमा हनुमान जी	शनिवार	7-9-2013	तहसील विजयपुर/वीरपुर
3	गणेश चतुर्थी	सोमवार	9-9-2013	तहसील श्योपुर/बड़ौदा/कराहल
4	दीपावली भाईदूज	मंगलवार	5-11-2013	सम्पूर्ण जिले में

यह अवकाश बैंक एवं कोषालय/ उप कोषालय पर लागू नहीं होंगे.

ज्ञानेश्वर बी. पाटील, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश

क्र. 550-10-भू-अर्जन-2013

अनूपपुर, दिनांक 22 जनवरी 2013

करारनामा

यह अनुबंध (करारनामा) आज दिनांक 29-12-2012 को एम.बी.पावर (मध्यप्रदेश) लिमिटेड, होटल गोविन्दम काम्प्लेक्स, कोतमा रोड, अनूपपुर (म.प्र.) 484224 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी जोगेश प्रसाद माहातो, परियोजना प्रमुख, एम.बी. पावर (मध्यप्रदेश) लिमिटेड, जिला अनूपपुर (जिन्हें आगे प्रथम पक्ष कहा गया है) एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, अनूपपुर (जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है) जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश द्वारा मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-12-10-2012-सात-2ए, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2012 एवं आदेश क्रमांक -एफ-12-08-2012-सात-2ए, दिनांक 14 सितम्बर 2012 द्वारा यथा संशोधित बिन्दुओं के अनुकूल हस्ताक्षरित व निष्पादित किया गया.

एम. बी.पावर (मध्यप्रदेश) लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय

होटल गोविन्दम काम्प्लेक्स, कोतमा रोड, अनूपपुर (म.प्र.) 484224 द्वारा जोगेश प्रसाद माहातो, परियोजना प्रमुख

प्रथम पक्ष

एवं

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश

द्वितीय पक्ष

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के उक्त आदेश द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार एम.बी.पावर (मध्यप्रदेश) लिमिटेड को पावर प्लांट हेतु जल आपूर्ति के लिए सोन नदी पर प्रस्तावित बराज का निर्माण तथा निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि हेतु तहसील अनूपपुर/ जैतहरी, जिला अनूपपुर में स्थित ग्राम धुरवासिन में 51.987 हे., ग्राम कोटमी 2.830 हे., एवं ग्राम पड़ौर में 7.313 हे., क्यॉटार 67.170 हेक्टे., कुसुमहाई 20.717 हेक्टे., रोहिलाकछार 26.757 हेक्टे. कुकुरगोड़ा 1.214 हेक्टे. एवं चोलना 1.320 हेक्टे. कुल रकबा 179.308 हेक्टे. भूमि

निजी भूमि के अर्जन हेतु प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत करारनामा किया जा रहा है:—

- 1.1 भारत सरकार की वर्ष 2007 (अधिसूचित 31-10-07) की राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति, मध्यप्रदेश शासन की पुनर्वास नीति एवं राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर अन्य स्वीकृत पुनर्वास पैकेज हेतु जारी निर्देश एवं शर्तें बंधनकारी होंगी.
- 1.2 प्रथम पक्ष द्वारा पुनर्वास प्रस्ताव कलेक्टर, अनूपपुर के माध्यम से तीन माह में राज्य शासन को यथा संभव प्रस्तुत किया जायेगा.
- 1.3 प्रथम पक्ष द्वारा भेजे जाने वाले पुनर्वास प्रस्ताव में पूर्व अनुमोदित पुनर्वास का भी उल्लेख किया जायेगा.
- 1.4 उपरोक्त समयावधि में पुनर्वास पैकेज का प्रस्ताव न किये जाने पर भू-अर्जन हेतु यदि कोई अनुमति दी गई है तो निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी.
- 1.5 तदुपरान्त स्वीकृत किये गये पुनर्वास पैकेज के तहत राज्य सरकार द्वारा मान्य किये गये समस्त अनुदान प्रथम पक्ष को मान्य होंगे, अन्यथा भू-अर्जन अनुमति निरस्त मान ली जावेगी.
2. परियोजना के लिए उक्त निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि की अनुमानित एवार्ड राशि रुपये 50809880/- (पांच करोड़ आठ लाख नौ हजार आठ सौ अस्सी रुपये मात्र) एवं 10 प्रतिशत राशि 5080988/- (पचास लाख अस्सी हजार नौ सौ अठासी रुपये मात्र) योग राशि 55890868/- (पांच करोड़ अठावन लाख नब्बे हजार आठ सौ अरसठ रुपये मात्र) कम्पनी द्वारा बतौर अग्रिम जमा की जा चुकी है तथा शेष राशि एवार्ड पारित होने के पहले शासकीय कोष में जमा की जावेगी.
3. संबंधित कम्पनी के लिये भू-अर्जन किये जाने संबंधित कार्य कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार किए जाएंगे.
4. कम्पनी के संबंध में करारनामा, बचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिये कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.
5. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक अनापत्तियां संबंधित कंपनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जायेगा.
6. अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवन सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.
7. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
8. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बन्धक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार धारा 44-ए भू-अर्जन अधिनियम के तहत ही होगा अन्यथा नहीं होगा.
9. यदि कंपनी दी गई भूमि/भवन या उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है, तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
10. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जावेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

11. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जावेगा.
12. कम्पनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण, जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.
13. भूमि या उसके किसी भी भाग या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लिखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.
14. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई गई अन्य आवश्यक शर्तें कम्पनी को मान्य होंगी.
15. पक्षकारों के मध्य उत्पन्न भू-अर्जन से संबंधित किसी भी विवाद का निराकरण जिले में स्थित न्यायालय में किया जावेगा.
16. परियोजना से विस्थापित परिवारों को शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं हेतु एक ट्रस्ट का गठन कलेक्टर एवं एम.बी.पावर (मध्यप्रदेश) लिमिटेड, अनूपपुर के मध्य चर्चानुसार किया जायेगा.
17. कंपनी ऐसे कार्यों में जिनमें अकुशल/कुशल श्रेणी के श्रमिकों की आवश्यकता है, स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देगी. ऐसे कार्यों के लिए विस्थापित परिवार के लोगों को प्रथम प्राथमिकता देगी.
18. कंपनी निर्माण अथवा गतिविधि संचालन में बाह्य संस्था को कार्य पर नियोजित करती है तो उससे भी ऐसा पालन होना सुनिश्चित करायेगी.
19. कंपनी द्वारा संचालित तकनीकी श्रेणी के कार्य में स्थानीय विस्थापित परिवार के सदस्यों को तकनीकी शिक्षा, योग्यता के आधार पर पात्रतानुसार प्राथमिकता से रोजगार उपलब्ध करायेगी.

यह करारनामा आज दिनांक 29-12-2012 को बिना किसी जोर-दबाव के लिख दिया ताकि सन्द् रहे व समय पर काम आवे.

प्रथम पक्ष

हस्ता./-

(जोगेश प्रसाद माहातो)

परियोजना प्रमुख,

एम.बी.पावर (म.प्र.) लिमिटेड, अनूपपुर

द्वितीय पक्ष

हस्ता./-

(जे. के. जैन)

कलेक्टर,

जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश.

गवाह के हस्ताक्षर:—

1. हस्ता./-

(श्री एम. आर. उपाध्याय)

2. हस्ता./-

(श्री कुलदीप सिंह)

क्र. 551-10-भू-अर्जन-2013

अनूपपुर, दिनांक 22 जनवरी 2013

करारनामा

यह अनुबंध (करारनामा) आज दिनांक 29-12-2012 को एम.बी.पावर (मध्यप्रदेश) लिमिटेड, होटल गोविन्दम काम्प्लेक्स, कोतमा रोड, अनूपपुर (म.प्र.) 484224 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी जोगेश प्रसाद माहातो, परियोजना प्रमुख, एम.बी. पावर (मध्यप्रदेश) लिमिटेड, जिला अनूपपुर (जिन्हें आगे प्रथम पक्ष कहा गया है) एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, अनूपपुर (जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है) जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश द्वारा मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-12-16-2012-सात-2ए, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2012 तथा कलेक्टर, अनूपपुर के द्वारा यथा संशोधित बिन्दुओं के अनुकूल हस्ताक्षरित व निष्पादित किया गया।

एम. बी.पावर (मध्यप्रदेश) लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय
होटल गोविन्दम काम्प्लेक्स, कोतमा रोड, अनूपपुर (म.प्र.) 484224 द्वारा जोगेश प्रसाद माहातो, परियोजना प्रमुख

प्रथम पक्ष**एवं**

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश

द्वितीय पक्ष

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के उक्त आदेश द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार एम.बी.पावर (मध्यप्रदेश) लिमिटेड को पावर प्लांट हेतु ऐश पाइप लाइन निर्माण में आने वाली तहसील जैतहरी के ग्राम अमगवां की भूमि 2.756 हेक्टे. एवं गुंवारी की भूमि 0.581 हेक्टे. कुल रकबा 3.337 हेक्टे. के अर्जन हेतु प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत करारनामा किया जा रहा है:—

- 1.1 भारत सरकार की वर्ष 2007 (अधिसूचित 31-10-07) की राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति, मध्यप्रदेश शासन की पुनर्वास नीति एवं राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर अन्य स्वीकृत पुनर्वास पैकेज हेतु जारी निर्देश एवं शर्त बंधनकारी होंगी.
- 1.2 प्रथम पक्ष द्वारा पुनर्वास प्रस्ताव कलेक्टर, अनूपपुर के माध्यम से तीन माह में राज्य शासन को यथा संभव प्रस्तुत किया जायेगा.
- 1.3 प्रथम पक्ष द्वारा भेजे जाने वाले पुनर्वास में पूर्व अनुमोदित पुनर्वास का भी उल्लेख किया जायेगा.
- 1.4 उपरोक्त समयावधि में पुनर्वास पैकेज का प्रस्ताव न किये जाने पर भू-अर्जन हेतु यदि कोई अनुमति दी गई है तो निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी.
- 1.5 तदुपरान्त स्वीकृत किये गये पुनर्वास पैकेज के तहत राज्य सरकार द्वारा मान्य किये गये समस्त अनुदान प्रथम पक्ष को मान्य होंगे, अन्यथा भू-अर्जन अनुमति निरस्त मान ली जावेगी.
2. परियोजना के लिए उक्त निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि की अनुमानित बाजार मूल्य की एवार्ड राशि रुपये 989480/- (नौ लाख नवासी हजार चार सौ अस्सी रुपये मात्र) एवं 10 प्रतिशत सर्विस चार्ज की राशि 98948/- (अठानवे हजार नौ सौ अड़तालीस रुपये मात्र) कुल योग राशि 1088428/- (दस लाख अठ्ठासी हजार चार सौ अठ्ठाइस रुपये मात्र) कम्पनी द्वारा बतौर अग्रिम जमा की जा चुकी है तथा शेष राशि एवार्ड पारित होने के पहले शासकीय कोष में जमा की जावेगी.
3. संबंधित कम्पनी के लिये भू-अर्जन किये जाने संबंधित कार्य कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार किए जाएंगे.
4. कम्पनी के संबंध में करारनामा, बचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिये कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.
5. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक अनापत्तियां संबंधित कंपनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जायेगा.

6. अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवन सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.
7. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
8. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बन्धक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार धारा 44-ए भू-अर्जन अधिनियम के तहत ही होगा अन्यथा नहीं होगा.
9. यदि कंपनी दी गई भूमि/भवन या उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है, तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
10. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
11. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जावेगा.
12. कम्पनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण, जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.
13. भूमि या उसके किसी भी भाग या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लिखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.
14. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई अन्य आवश्यक शर्तें कम्पनी को मान्य होंगी.
15. पक्षकारों के मध्य उत्पन्न भू-अर्जन से संबंधित किसी भी विवाद का निराकरण जिले में स्थित न्यायालय में किया जावेगा.
16. परियोजना से विस्थापित परिवारों को शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं हेतु एक ट्रस्ट का गठन कलेक्टर, अनूपपुर एवं एम.बी.पावर (मध्यप्रदेश) लिमिटेड, अनूपपुर के मध्य चर्चानुसार किया जायेगा.
17. कंपनी ऐसे कार्यों में जिनमें अकुशल/कुशल श्रेणी के श्रमिकों की आवश्यकता है, स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देगी. ऐसे कार्यों के लिए विस्थापित परिवार के लोगों को प्रथम प्राथमिकता देगी.
18. कंपनी निर्माण अथवा गतिविधि संचालन में बाह्य संस्था को कार्य पर नियोजित करती है तो उससे भी ऐसा पालन होना सुनिश्चित करायेगी.
19. कंपनी के द्वारा संचालित तकनीकी श्रेणी के कार्य में स्थानीय विस्थापित परिवार के सदस्यों को तकनीकी शिक्षा, योग्यता के आधार पर पात्रतानुसार प्राथमिकता से रोजगार उपलब्ध करायेगी.

यह करारनामा आज दिनांक 29-12-2012 को बिना किसी जोर-दवाब के लिख दिया ताकि सनद् रहे व समय पर काम आवे.

प्रथम पक्ष

हस्ता./-

(जोगेश प्रसाद माहातो)

परियोजना प्रमुख,

एम.बी.पावर (म.प्र.) लिमिटेड, अनूपपुर

द्वितीय पक्ष

हस्ता./-

(जे. के. जैन)

कलेक्टर,

जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश.

गवाह के हस्ताक्षर:—

1. हस्ता./-

(श्री एम. आर. उपाध्याय)

2. हस्ता./-

(श्री कुलदीप सिंह)

क्र. 552-10-भू-अर्जन-2013

अनूपपुर, दिनांक 22 जनवरी 2013

करारनामा

यह अनुबंध (करारनामा) आज दिनांक 29-12-2012 को एम.बी.पावर (मध्यप्रदेश) लिमिटेड, होटल गोविन्दम काम्प्लेक्स, कोतमा रोड, अनूपपुर (म.प्र.) 484224 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी जोगेश प्रसाद माहातो, परियोजना प्रमुख, एम.बी. पावर (मध्यप्रदेश) लिमिटेड, जिला अनूपपुर (जिन्हें आगे प्रथम पक्ष कहा गया है) एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, अनूपपुर (जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है) जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश द्वारा मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-12-09-2012-सात-2ए, दिनांक 14 सितम्बर 2012 तथा कलेक्टर, अनूपपुर के द्वारा यथा संशोधित बिन्दुओं के अनुकूल हस्ताक्षरित व निष्पादित किया गया।

एम. बी.पावर (मध्यप्रदेश) लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय

होटल गोविन्दम काम्प्लेक्स, कोतमा रोड, अनूपपुर (म.प्र.) 484224 द्वारा जोगेश प्रसाद माहातो, परियोजना प्रमुख

प्रथम पक्ष**एवं**

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश

द्वितीय पक्ष

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के उक्त आदेश द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार एम.बी.पावर (मध्यप्रदेश) लिमिटेड को पावर प्लांट हेतु रेल्वे लाइन एवं रेल्वे साइडिंग निर्माण में आने वाली तहसील जैतहरी, ग्राम जैतहरी, जिला अनूपपुर का में स्थित भूमि का रकबा 24.749 हेक्टे. निजी भूमि के अर्जन हेतु प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत करारनामा किया जा रहा है:—

- 1.1 भारत सरकार की वर्ष 2007 (अधिसूचित 31-10-07) की राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति, मध्यप्रदेश शासन की पुनर्वास नीति एवं राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर अन्य स्वीकृत पुनर्वास पैकेज हेतु जारी निर्देश एवं शर्तें बंधनकारी होंगी.
- 1.2 प्रथम पक्ष द्वारा पुनर्वास प्रस्ताव कलेक्टर, अनूपपुर के माध्यम से तीन माह में राज्य शासन को यथा संभव प्रस्तुत किया जायेगा.
- 1.3 प्रथम पक्ष द्वारा भेजे जाने वाले पुनर्वास प्रस्ताव में पूर्व अनुमोदित पुनर्वास का भी उल्लेख किया जायेगा.
- 1.4 उपरोक्त समयावधि में पुनर्वास पैकेज का प्रस्ताव न किये जाने पर भू-अर्जन हेतु यदि कोई अनुमति दी गई है तो निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी.
- 1.5 तदुपरान्त स्वीकृत किये गये पुनर्वास पैकेज के तहत राज्य सरकार द्वारा मान्य किये गये समस्त अनुदान प्रथम पक्ष को मान्य होंगे, अन्यथा भू-अर्जन अनुमति निरस्त मान ली जावेगी.
2. परियोजना के लिए उक्त निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि की अनुमानित बाजार मूल्य की एवार्ड राशि रुपये 29698800/- (दो करोड़ छियान्नेवे लाख अंठान्नेवे हजार आठ सौ रुपये मात्र) एवं 10 प्रतिशत सर्विस चार्ज राशि 2969880/- (उन्तीस लाख उन्हत्तर हजार आठ सौ अस्सी रुपये मात्र) कुल योग राशि 32668680/- (तीन करोड़ छब्बीस लाख अरसठ हजार छः सौ अस्सी रुपये मात्र) कम्पनी द्वारा बतौर अग्रिम जमा की जा चुकी है तथा शेष राशि एवार्ड पारित होने के पहले शासकीय कोष में जमा की जावेगी.
3. संबंधित कम्पनी के लिये भू-अर्जन किये जाने संबंधित कार्य कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार किए जाएंगे.
4. कम्पनी के संबंध में करारनामा, बचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिये कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.
5. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक अनापत्तियां संबंधित कंपनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जायेगा.

6. अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा। भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा। यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवन सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा।
7. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा।
8. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेंचने, बन्धक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार धारा 44-ए भू-अर्जन अधिनियम के तहत ही होगा अन्यथा नहीं होगा।
9. यदि कंपनी दी गई भूमि/भवन या उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है, तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा।
10. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा। आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा।
11. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जावेगा।
12. कम्पनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी। इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण, जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा।
13. भूमि या उसके किसी भी भाग या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लिखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा।
14. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई गई अन्य आवश्यक शर्तें कम्पनी को मान्य होंगी।
15. पक्षकारों के मध्य उत्पन्न भू-अर्जन से संबंधित किसी भी विवाद का निराकरण जिले में स्थित न्यायालय में किया जावेगा।
16. परियोजना से विस्थापित परिवारों को शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं हेतु एक ट्रस्ट का गठन कलेक्टर, अनूपपुर एवं एम.बी.पावर (मध्यप्रदेश) लिमिटेड, अनूपपुर के मध्य चर्चानुसार किया जायेगा।
17. कंपनी ऐसे कार्यों में जिनमें अकुशल/कुशल श्रेणी के श्रमिकों की आवश्यकता है, स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देगी। ऐसे कार्यों के लिए विस्थापित परिवार के लोगों को प्रथम प्राथमिकता देगी।
18. कंपनी निर्माण अथवा गतिविधि संचालन में बाह्य संस्था को कार्य पर नियोजित करती है तो उससे भी ऐसा पालन होना सुनिश्चित करायेगी।
19. कंपनी द्वारा संचालित तकनीकी श्रेणी के कार्य में स्थानीय विस्थापित परिवार के सदस्यों को तकनीकी शिक्षा, योग्यता के आधार पर पात्रतानुसार प्राथमिकता से रोजगार उपलब्ध करायेगी।

यह करारनामा आज दिनांक 29-12-2012 को बिना किसी जोर-दवाब के लिख दिया ताकि सन्दर्भ रहे व समय पर काम आवे।

प्रथम पक्ष

हस्ता./-

(जोगेश प्रसाद माहातो)

परियोजना प्रमुख,

एम.बी.पावर (म.प्र.) लिमिटेड, अनूपपुर

द्वितीय पक्ष

हस्ता./-

(जे. के. जैन)

कलेक्टर,

जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश.

गवाह के हस्ताक्षर:—

1. हस्ता./-

(श्री एम. आर. उपाध्याय)

2. हस्ता./-

(श्री कुलदीप सिंह)

संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2013

क्र. गन्ना-एस-3-क्षे.रा.-12-13-63.—मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल, गन्ना, पैराई मौसम वर्ष 2012-13 हेतु महाकौशल शुगर मिल प्रा. लि. बचई, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ :—

क्र. (1)	जिला/तहसील (2)	क्रय केन्द्र (3)	ग्रामों की संख्या (4)	क्षेत्र (हेक्टेयर) (5)
1	नरसिंहपुर/नरसिंहपुर	फैक्ट्री गेट	107	4131.05
2	नरसिंहपुर/गोटेगांव	फैक्ट्री गेट	114	4214.40
			योग . .	8345.45

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है। यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे।

डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

महाकौशल शुगर एण्ड पावर इण्ड. लिमिटेड, बचई, नरसिंहपुर

गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु तहसीलवार ग्रामों की सूची

सत्र 2012-13

तहसील-नरसिंहपुर

क्रमांक (1)	ग्राम कोड (2)	ग्राम का नाम (3)	प.ह. नं. (4)	कारखाने से दूरी (कि.मी.) (5)	आच्छादित गन्ना फसल का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			कुल योग (हेक्टेयर में) (9)	उत्पादकता @50 टन हेक्टेयर (10)	पैराई हेतु उपलब्ध गन्ना क्षेत्रफल (हे.में) (11)	परिवहन का साधन (12)	क्रय केन्द्र का नाम (13)
					नोरपा (6)	जड़ी (7)	मडी (8)					
1	101	बचई	0	3	5.57	3.49	1.98	11.03	551.70	5.52	ट्रेक्टर ट्राली	फैक्ट्री गेट
2	102	करहैया	26	3	44.20	40.84	18.02	103.05	5152.50	51.53	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
3	103	बबरिया	26	3	22.62	8.96	13.66	45.25	2262.30	22.62	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
4	104	मेहमदपुर	26	4	34.10	27.06	11.29	72.45	3622.40	36.22	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
5	105	अगरिया	26	4	10.44	11.29	3.27	25.00	1249.75	12.50	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
6	106	कन्हारपानी	26	5	30.97	25.40	7.43	63.80	3189.75	31.90	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
7	107	मुरली पौडी	24	5	27.67	20.42	19.40	67.49	3374.40	33.74	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
8	108	चौराखेड़ा	25	5	66.64	34.86	27.42	128.93	6446.25	64.46	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
9	109	सलैया	25	5	19.49	10.96	3.76	34.21	1710.30	17.10	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
10	110	डागीढाना	24	6	51.16	28.39	20.00	99.54	4977.00	49.77	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
11	111	बागपौडी	24	12	30.28	13.78	8.42	52.47	2623.45	26.23	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
12	112	मुडिया	24	8	18.79	18.09	7.03	43.92	2195.75	21.96	ट्रेक्टर ट्राली	—''—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
13	113	हनुमंत पौड़ी	24	8	10.44	5.48	3.27	19.19	959.25	9.59	ट्रेक्टर ट्राली	फैक्ट्री गेट
14	114	बैहर पौड़ी	24	8	49.42	37.02	25.54	111.98	5598.88	55.99	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
15	115	डोकरघाट	14	12	38.63	21.75	12.18	72.55	3627.55	36.28	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
16	116	भरवारा	14	13	10.96	37.52	25.54	74.02	3701.00	37.01	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
17	117	खमतरा	20	14	31.67	23.41	13.37	68.44	3421.95	34.22	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
18	118	पांसी	14	15	10.09	15.52	7.92	33.53	1676.65	16.77	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
19	119	सेमरा (पांजरा)	15	16	4.35	24.73	10.89	39.97	1998.70	19.99	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
20	120	चीलाचौद खुर्द	27	4	46.98	42.66	13.37	103.01	5150.35	51.50	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
21	121	चीलाचौद कला	23	10	23.14	16.27	17.42	56.83	2841.70	28.42	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
22	122	समनापुर	27	10	18.62	14.11	8.51	41.24	2062.10	20.62	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
23	123	सावलरानी	27	12	20.71	8.47	7.72	36.89	1844.70	18.45	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
24	124	घवई बडगुवा	27	13	12.70	9.63	2.18	24.51	1225.40	12.25	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
25	125	झार-खुरपा	27	13	33.76	26.73	11.68	72.16	3608.20	36.08	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
26	126	नवलगांव	23	13	20.88	16.93	9.01	46.82	2341.05	23.41	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
27	127	रानी पिपरिया	20	13	28.54	42.16	7.33	78.03	3901.30	39.01	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
28	128	सूरजगांव	15	15	23.84	19.92	16.43	60.19	3009.60	30.10	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
29	129	मगरधा (रोसरा)	20	17	12.88	19.26	7.92	40.05	2002.60	20.03	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
30	130	टापरिया (धवई)	27	17	31.84	23.90	11.48	67.23	3361.50	33.62	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
31	131	झगराई	20	17	13.40	7.80	3.56	24.76	1238.20	12.38	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
32	132	जरजोला	16	18	12.70	11.62	6.73	31.05	1552.70	15.53	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
33	133	गंगई	27	19	9.92	7.30	2.08	19.30	965.05	9.65	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
34	135	संग्रामपुर	14	15	1.74	7.14	1.39	10.26	513.20	5.13	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
35	136	सहजपुरा	25	18	29.93	30.21	14.65	74.79	3739.60	37.40	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
36	138	श्यामखेड़ा	25	22	1.57	2.32	1.68	5.57	278.65	2.79	ट्रक	—''—
37	140	लुरेहटा	25	24	2.61	15.60	3.37	21.58	1079.00	10.79	ट्रक	—''—
38	154	खुरपा (बडा)	23	10	40.37	51.46	32.87	124.70	6234.80	62.35	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
39	155	नयाखेडा	27	15	8.00	12.95	2.38	23.33	1166.40	11.66	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
40	156	बारूरेवा	27	15	26.80	24.90	6.44	58.13	2906.55	29.07	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
41	158	बहोरीपार (धुवघट)	23	17	5.92	4.65	4.55	15.12	755.90	7.56	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
42	160	सिमरिया (जरजोला)	16	18	6.44	7.47	0.40	14.30	715.20	7.15	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
43	161	धुवघट	20	20	11.83	18.92	13.07	43.82	2191.20	21.91	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
44	162	खैरी	6	22	4.35	3.98	1.78	10.12	505.80	5.06	ट्रक	—''—
45	166	डेडवारा	16	18	2.09	4.15	0.79	7.03	351.50	3.52	ट्रक	—''—
46	167	सिमरिया (सिंहपुर क्षेत्र)	21	20	5.57	5.31	2.18	13.06	652.90	6.53	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
47	168	नदवारा	16	24	12.88	10.96	2.77	26.60	1330.20	13.30	ट्रक	—''—
48	169	कुम्हडी	0	24	15.66	7.64	5.15	28.44	1422.20	14.22	ट्रक	—''—
49	177	बहादुरपुर	0	0	1.39	7.30	4.55	13.25	662.50	6.63	ट्रक	—''—
50	201	मुँगवानी	35	15	26.62	11.95	14.45	53.03	2651.40	26.51	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
51	202	भंडारदेव	34	8	12.35	6.14	4.26	22.75	1137.65	11.38	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
52	203	बकोरी	34	10	18.44	4.65	4.36	27.45	1372.40	13.72	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
53	204	मढपिपरिया	34	10	27.84	14.94	7.13	49.91	2495.40	24.95	ट्रेक्टर ट्राली	—''—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
54	205	केकडा	34	10	8.35	4.81	4.55	17.72	886.00	8.86	ट्रेक्टर ट्राली	फैक्ट्री गेट
55	206	देवनगर	34	12	52.55	39.01	27.52	119.08	5954.00	59.54	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
56	207	भालपानी	34	12	5.57	2.66	0.59	8.82	440.90	4.41	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
57	209	सलैया (देवनगर)	34	13	8.00	4.48	2.77	15.26	762.90	7.63	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
58	210	पिंडरई (पस्ताना)	33	15	10.96	11.62	3.76	26.34	1317.20	13.17	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
59	211	पस्ताना	35	15	15.31	14.94	8.71	38.96	1948.20	19.48	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
60	212	करहैया (देवनगर)	34	15	16.70	18.43	13.46	48.59	2429.70	24.30	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
61	213	टोला मुगंवानी	0	17	3.13	2.32	2.38	7.83	391.60	3.92	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
62	214	पटनिया	35	18	1.04	4.32	4.16	9.52	475.90	4.76	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
63	216	मुडरई कला	33	18	4.87	2.99	1.58	9.44	472.20	4.72	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
64	218	गडरिया	36	18	5.05	6.97	2.57	14.59	729.60	7.30	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
65	220	खमरिया (देवनगर)	35	22	11.48	6.81	4.75	23.04	1152.10	11.52	ट्रक	—''—
66	223	भोती	36	22	20.18	11.29	6.04	37.51	1875.55	18.76	ट्रक	—''—
67	226	नारिया	0	23	0.00	0.66	0.59	1.26	62.90	0.63	ट्रक	—''—
68	227	डुढवारा	37	23	0.00	0.33	1.39	1.72	85.90	0.86	ट्रक	—''—
69	229	कठोतिया (मुगवानी)	22	25	4.70	4.32	0.20	9.21	460.60	4.61	ट्रक	—''—
70	237	लवेरी	0	26	2.78	2.16	2.86	7.80	390.10	3.90	ट्रक	—''—
71	238	लिघारी	0	26	2.78	3.49	2.20	8.47	423.50	4.24	ट्रक	—''—
72	240	गोगावरी	33	27	3.48	2.82	0.30	6.60	329.95	3.30	ट्रक	—''—
73	243	पिपरिया	0	30	2.44	1.66	0.40	4.49	224.60	2.25	ट्रक	—''—
74	245	गोरखपुर	29	35	13.05	4.15	6.93	24.13	1206.50	12.07	ट्रक	—''—
75	253	पाला मुडरई	32	47	3.13	5.64	0.50	9.27	463.55	4.64	ट्रक	—''—
76	254	उसरी	28	50	11.83	5.31	6.27	23.41	1170.70	11.71	ट्रक	—''—
77	267	कछरा	0	0	0.00	0.66	0.20	0.86	43.10	0.43	ट्रक	—''—
78	302	लोकीपार	21	32	4.87	2.99	6.93	14.79	739.50	7.40	ट्रक	—''—
79	308	बरखेड़ा	21	29	8.35	5.31	1.58	15.25	762.40	7.62	ट्रक	—''—
80	313	कल्यानपुर	22	32	18.44	16.60	9.90	44.94	2247.20	22.47	ट्रक	—''—
81	314	भैसापाला	22	32	6.96	13.94	8.71	29.62	1480.80	14.81	ट्रक	—''—
82	315	भूत पिपरिया	22	35	4.18	6.97	3.56	14.71	735.60	7.36	ट्रक	—''—
83	407	तिदनी (बम्होरी)	9	35	4.18	14.61	9.11	27.89	1394.60	13.95	ट्रक	धमना
84	415	धमना	10	28	35.84	51.13	27.52	114.49	5724.70	57.25	ट्रक	धमना
85	416	सगोनी (सुपला)	0	28	10.44	12.62	7.72	30.78	1538.90	15.39	ट्रक	धमना
86	417	डुडी-पिंडरई	9	29	7.31	10.29	6.14	23.74	1186.90	11.87	ट्रक	धमना
87	419	खापा	10	30	8.00	46.48	11.09	65.57	3278.60	32.79	ट्रक	धमना
88	420	सगोनी (लकडहांड)	11	30	5.57	23.90	12.87	42.34	2117.10	21.17	ट्रक	धमना
89	421	नयागांव (धमना)	11	30	12.18	19.26	12.47	43.91	2195.50	21.96	ट्रक	धमना
90	422	बम्होरी (तिदनी)	6	32	10.09	24.90	14.45	49.45	2472.30	24.72	ट्रक	धमना
91	424	मचवारा	11	32	11.83	39.84	16.24	67.91	3395.40	33.95	ट्रक	धमना

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
92	425	घाट-पिडरई	0	34	2.44	19.92	5.35	27.70	1385.10	13.85	ट्रक	धमना
93	427	मुराच	6	36	7.31	21.91	11.29	40.51	2025.30	20.25	ट्रक	धमना
94	428	महादेव-पिपरिया	5	38	0.35	2.66	5.94	8.94	447.20	4.47	ट्रक	धमना
95	429	करहैया (नर्मदा)	6	38	3.13	13.28	14.45	30.87	1543.30	15.43	ट्रक	धमना
96	431	गुटोरी	13	32	2.78	5.64	4.16	12.59	629.30	6.29	ट्रक	धमना
97	432	झिरी	13	32	11.14	10.29	7.72	29.15	1457.50	14.58	ट्रक	धमना
98	433	अंडिया	15	21	4.52	1.00	0.00	5.52	276.00	2.76	ट्रक	फैक्ट्री गेट
99	434	डोगरगांव	15	32	31.32	16.60	8.22	56.14	2806.85	28.07	ट्रक	फैक्ट्री गेट
100	435	खमरिया	16	21	27.14	10.13	12.67	49.94	2497.10	24.97	ट्रक	फैक्ट्री गेट
101	436	मेंहका	28	0	4.52	5.31	2.77	12.61	630.40	6.30	ट्रक	धमना
102	437	घुघरी	0	0	3.83	6.97	2.57	13.37	668.70	6.69	ट्रक	धमना
103	438	करहैयाखेड़ा	15	0	11.83	5.31	2.08	19.22	961.15	9.61	ट्रक	फैक्ट्री गेट
104	517	मलाहपिपरिया	12	35	45.24	36.85	26.14	108.23	5411.40	54.11	ट्रक	धमना
105	528	चंद्रपुरा	4	40	22.97	6.64	5.15	34.76	1737.80	17.38	ट्रक	धमना
106	532	गडरियाखेड़ा	4	44	22.97	18.59	4.95	46.51	2325.50	23.26	ट्रक	धमना
107	539	गुड़वारा	0	0	35.32	19.42	8.80	63.54	3177.20	31.77	ट्रक	धमना
योग . .					1741.91	1676.19	943.31	4131.05	218070.20	2180.70		

तहसील-गोटेगांव

क्रमांक	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	प.ह. नं.	कारखाने से दूरी (कि.मी.)	आच्छादित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	गन्ना फसल का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	कुल योग (हेक्टेयर में)	उत्पादकता @50 टन हेक्टेयर	पेराई हेतु उपलब्ध गन्ना क्षेत्रफल (हे.में)	परिवहन का साधन	क्रय केन्द्र का नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	137	शेड-बेलखेडी	30	20	83.87	42.16	20.20	146.23	7311.40	73.11	ट्रेक्टर ट्राली	फैक्ट्री गेट
2	139	खानापुर	30	23	2.44	6.97	2.38	11.78	589.20	5.89	ट्रक	—''—
3	141	शेड-मगरधा	30	24	56.20	79.68	20.20	156.08	7803.90	78.04	ट्रक	बौछार
4	142	सूरवारी	11	25	29.58	37.18	17.62	84.39	4219.30	42.19	ट्रक	फैक्ट्री गेट
5	143	रीछा	31	25	30.28	32.87	14.85	77.99	3899.70	39.00	ट्रक	—''—
6	144	बेदू	29	27	22.62	14.94	9.31	46.87	2343.30	23.43	ट्रक	—''—
7	145	छीताघाट	30	27	3.13	4.32	2.38	9.82	491.20	4.91	ट्रक	—''—
8	146	नयागांव (रीछा)	31	27	6.26	6.64	4.16	17.06	853.10	8.53	ट्रक	—''—
9	147	बरहटा	31	28	22.62	15.94	6.14	44.69	2234.70	22.35	ट्रक	—''—
10	148	वावली	29	28	13.57	7.30	4.16	25.03	1251.70	12.52	ट्रक	—''—
11	149	चिरचिटा	30	28	3.83	1.66	1.98	7.47	373.40	3.73	ट्रक	—''—
12	150	नोनिया(बरहटा)	32	30	3.13	0.66	1.39	5.18	259.10	2.59	ट्रक	—''—
13	151	दौन (कछुआ)	29	32	12.53	7.64	8.51	28.68	1433.90	14.34	ट्रक	—''—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
14	152	रौसरा	29	32	3.13	4.32	1.78	9.23	461.50	4.62	ट्रक	फैक्ट्री गेट
15	173	रौसरी	0	35	4.52	3.98	3.17	11.68	583.80	5.84	ट्रक	—''—
16	217	गाडखाड खेड	33	18	12.53	10.13	6.14	28.79	1439.60	14.40	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
17	225	सिलवानी	0	23	0.35	0.66	0.00	1.01	50.60	0.51	ट्रक	—''—
18	235	सिवनी (पटी)	32	40	0.35	0.00	0.40	0.74	37.20	0.37	ट्रक	—''—
19	236	अधियारी	33	26	1.39	2.49	0.40	4.28	213.90	2.14	ट्रक	—''—
20	260	बंधा		40	4.18	0.83	2.42	7.43	371.30	3.71	ट्रक	—''—
21	501	वासनपानी	11	27	65.25	72.38	40.99	178.61	8930.60	89.31	ट्रक	बौछार
22	502	बौछार	10	30	39.32	31.04	24.95	95.31	4765.70	47.66	ट्रक	बौछार
23	503	कथगपुर (ठेमी)	8	30	18.44	27.22	11.29	56.95	2847.70	28.48	ट्रक	बौछार
24	504	मानेगांव	14	31	24.71	11.62	8.91	45.24	2261.90	22.62	ट्रक	इमलिया
25	505	कापखेडा	30	33	18.10	9.96	6.73	34.79	1739.40	17.39	ट्रक	बौछार
26	506	छिदामानी	9	33	14.62	10.62	3.96	29.20	1460.00	14.60	ट्रक	बौछार
27	507	करकबेल	9	34	36.19	24.40	13.76	74.36	3717.75	37.18	ट्रक	बौछार
28	508	मुगली	13	34	39.32	29.22	12.87	81.41	4070.50	40.71	ट्रक	फैक्ट्री गेट
29	509	मेख	12	34	40.02	57.27	29.01	126.30	6314.85	63.15	ट्रक	फैक्ट्री गेट
30	510	नन्हेगांव	8	34	14.27	8.63	8.02	30.92	1545.95	15.46	ट्रक	बौछार
31	511	कमता	14	34	6.61	5.31	1.39	13.31	665.50	6.66	ट्रक	इमलिया
32	512	लोहारी	10	34	7.31	25.56	12.67	45.54	2277.20	22.77	ट्रक	बौछार
33	513	ठेमी	8	35	66.12	53.45	21.48	141.06	7052.75	70.53	ट्रक	बौछार
34	514	बारगी	0	35	25.75	21.75	9.80	57.30	2864.95	28.65	ट्रक	बौछार
35	515	मुशरान-पिपरिया	9	35	15.31	11.29	10.30	36.90	1844.80	18.45	ट्रक	बौछार
36	516	बेलखेडा	0	35	44.20	39.01	22.18	105.38	5269.10	52.69	ट्रक	बौछार
37	518	मल्हौआ	0	0	10.44	12.45	4.40	27.29	1364.50	13.65	ट्रक	बौछार
38	519	टपरिया (ठेमी)	9	37	11.48	9.13	8.91	29.52	1476.20	14.76	ट्रक	फैक्ट्री गेट
39	520	अकोला	7	37	7.66	13.28	7.62	28.56	1427.95	14.28	ट्रक	बौछार
40	521	बड़गुआ		38	15.66	12.04	16.28	43.98	2198.75	21.99	ट्रक	बौछार
41	522	देवरी	9	38	29.23	34.20	11.09	74.52	3725.80	37.26	ट्रक	बौछार
42	523	बम्हनी	13	39	17.75	13.61	4.51	35.87	1793.50	17.94	ट्रक	इमलिया
43	524	जटलापुर	9	40	6.96	5.31	2.18	14.45	722.50	7.23	ट्रक	फैक्ट्री गेट
44	525	सिवनी (मुगली)	13	40	18.10	19.92	6.14	44.15	2207.70	22.08	ट्रक	इमलिया
45	526	सगरा	9	40	8.35	7.30	4.16	19.81	990.70	9.91	ट्रक	फैक्ट्री गेट
46	527	बढ़ैयाखेड़ा	2	52	18.27	29.22	37.42	84.91	4245.40	42.45	ट्रक	खोवी
47	529	खमरिया कधरापुर	0	42	24.01	10.29	15.35	49.65	2482.45	24.82	ट्रक	खोवी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
48	530	झामर (सांकल)	4	42	15.49	14.61	6.93	37.02	1851.20	18.51	ट्रक	धमना
49	533	सांकल	1	43	18.62	7.97	1.98	28.57	1428.30	14.28	ट्रक	फैक्ट्री गेट
50	534	बुधगांव	0	46	7.83	5.31	1.39	14.53	726.40	7.26	ट्रक	फैक्ट्री गेट
51	535	परसबाडा (मुगली)	14	51	23.66	11.29	11.39	46.34	2316.85	23.17	ट्रक	इमलिया
52	536	रिमझा	2	52	18.79	3.65	1.78	24.23	1211.30	12.11	ट्रक	फैक्ट्री गेट
53	537	मोहास	1	54	29.23	11.62	13.86	54.71	2735.60	27.36	ट्रक	खोवी
54	538	सनगापुर	9	55	11.14	9.96	5.74	26.84	1341.90	13.42	ट्रक	बौछार
55	540	बिछुआ	11	35	15.49	15.11	1.98	32.57	1628.60	16.29	ट्रक	फैक्ट्री गेट
56	541	बरखेड़ा	0	32	5.57	9.63	3.56	18.76	938.00	9.38	ट्रक	फैक्ट्री गेट
57	601	गुंदरई	4	28	24.01	34.03	8.91	66.95	3347.60	33.48	ट्रक	इमलिया
58	602	गुन्जी	0	44	7.31	15.94	6.14	29.38	1469.10	14.69	ट्रक	इमलिया
59	603	विछिया	28	34	2.18	3.32	2.18	7.67	383.65	3.84	ट्रक	इमलिया
60	604	इमलिया	14	32	22.97	35.36	12.87	71.20	3559.80	35.60	ट्रक	इमलिया
61	605	बटोरी	13	38	19.49	11.95	7.13	38.57	1928.40	19.28	ट्रक	इमलिया
62	606	कमती	14	33	42.11	43.82	16.34	102.27	5113.35	51.13	ट्रक	इमलिया
63	607	गडपेहरा	36	33	8.35	11.62	5.35	25.32	1265.90	12.66	ट्रक	इमलिया
64	609	खमरिया (तिघरा)	0	42	4.18	3.98	2.38	10.54	526.80	5.27	ट्रक	फैक्ट्री गेट
65	610	पथरोडा	12	35	7.66	10.29	3.76	21.71	1085.50	10.86	ट्रक	इमलिया
66	611	टिकरी	13	35	36.19	33.53	16.53	86.26	4312.85	43.13	ट्रक	इमलिया
67	612	खमरिया (पिपरसरा)	28	36	4.18	1.99	5.54	11.71	585.60	5.86	ट्रक	फैक्ट्री गेट
68	613	बेलखेडी (टिकरी)	6	37	26.80	22.58	15.64	65.01	3250.70	32.51	ट्रक	इमलिया
69	614	पिपरसरा	25	37	11.48	20.58	5.74	37.81	1890.50	18.91	ट्रक	इमलिया
70	615	दिघारी	6	43	39.32	22.91	18.22	80.45	4022.40	40.22	ट्रक	इमलिया
71	616	गोहचर	0	37	2.09	1.66	0.40	4.14	207.20	2.07	ट्रक	फैक्ट्री गेट
72	617	नोन-पिपरिया	28	38	9.74	24.90	10.49	45.14	2256.90	22.57	ट्रक	इमलिया
73	618	साकली	28	38	8.35	7.30	4.16	19.81	990.70	9.91	ट्रक	इमलिया
74	619	चांदनखेडा	28	38	22.97	19.59	14.65	57.21	2860.40	28.60	ट्रक	इमलिया
75	620	पिडरई (सिधई)	7	38	11.48	0.00	5.05	16.53	826.65	8.27	ट्रक	इमलिया
76	621	तिघरा (खमरिया)	6	40	2.44	3.98	1.78	8.20	410.10	4.10	ट्रक	फैक्ट्री गेट
77	622	बगलई	6	41	8.35	15.94	2.38	26.66	1333.20	13.33	ट्रक	इमलिया
78	623	तिरका	27	40	14.27	13.78	6.14	34.18	1709.20	17.09	ट्रक	इमलिया
79	624	सिरकोना	36	40	0.70	2.32	1.19	4.21	210.40	2.10	ट्रक	इमलिया
80	625	देवनगर (गोटेगांव)	0	42	87.35	31.87	10.49	129.71	6485.70	64.86	ट्रक	इमलिया
81	626	सिमरी छोटी	7	42	14.27	20.25	9.31	43.83	2191.30	21.91	ट्रक	इमलिया

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
82	627	राजाकछार	0	43	17.40	8.96	6.14	32.50	1625.10	16.25	ट्रक	इमलिया
83	628	कमोद	5	45	8.70	2.99	1.39	13.07	653.70	6.54	ट्रक	फैक्ट्री गेट
84	633	परसवाडा (खोबी)	9	50	10.09	10.62	2.57	23.29	1164.50	11.65	ट्रक	फैक्ट्री गेट
85	634	सिमरी बडी	7	50	10.09	13.28	2.18	25.55	1277.50	12.78	ट्रक	फैक्ट्री गेट
86	635	उमरा	7	51	7.31	5.31	2.38	15.00	749.80	7.50	ट्रक	फैक्ट्री गेट
87	636	राखी	3	52	13.92	3.98	1.78	19.69	984.30	9.84	ट्रक	फैक्ट्री गेट
88	638	खोबी	3	49	16.36	2.99	10.89	30.23	1511.70	15.12	ट्रक	फैक्ट्री गेट
89	639	पोनिया (टिकरी)	24	42	14.96	10.29	4.36	29.61	1480.60	14.81	ट्रक	फैक्ट्री गेट
90	641	कुम्हड़ाखेड़ा		38	0.70	0.00	1.98	2.68	133.80	1.34	ट्रक	फैक्ट्री गेट
91	643	तिघरा (अतरिया)	25	47	7.31	4.65	2.97	14.93	746.30	7.46	ट्रक	फैक्ट्री गेट
92	644	रामनिवारी	0	42	0.70	0.83	3.37	4.89	244.60	2.45	ट्रक	फैक्ट्री गेट
93	645	बडोदा	0	42	0.70	2.99	3.37	7.05	352.50	3.53	ट्रक	फैक्ट्री गेट
94	649	पडरिया	0	45	1.74	3.98	0.99	6.71	335.70	3.36	ट्रक	फैक्ट्री गेट
95	653	गरा	17	47	2.09	5.31	1.58	8.98	449.20	4.49	ट्रक	फैक्ट्री गेट
96	655	बगासपुर	0	48	27.84	20.58	0.79	49.22	2460.80	24.61	ट्रक	इमलिया
97	661	बहरोड़ा	25	48	1.74	3.65	1.98	7.37	368.60	3.69	ट्रक	इमलिया
98	666	बन्दोल	22	49	2.18	0.00	0.40	2.57	128.55	1.29	ट्रक	इमलिया
99	673	रिमझा	19	50	3.48	8.30	1.98	13.76	688.00	6.88	ट्रक	इमलिया
100	680	पिपसिया (लाटगांव)	39	52	19.49	15.27	10.69	45.45	2272.60	22.73	ट्रक	इमलिया
101	681	श्री नगर	38	53	9.05	8.30	1.78	19.13	956.50	9.57	ट्रक	इमलिया
102	682	नरवारा (कुकलाह)	0	53	3.13	3.98	1.78	8.90	444.90	4.45	ट्रक	इमलिया
103	684	लाटगांव	39	53	9.74	9.46	3.96	23.17	1158.30	11.58	ट्रक	इमलिया
104	685	मनकवारा	24	54	20.53	13.11	5.15	38.79	1939.70	19.40	ट्रक	इमलिया
105	687	तरवारा	37	55	1.39	0.66	0.00	2.06	102.80	1.03	ट्रक	इमलिया
106	691	उमरिया (श्री नगर)	42	57	21.92	22.24	2.77	46.94	2347.00	23.47	ट्रक	इमलिया
107	694	सुकरी		57	5.57	1.33	0.00	6.90	344.80	3.45	ट्रक	इमलिया
108	695	झिरी (नगवारा)	0	60	1.04	0.00	0.99	2.03	101.70	1.02	ट्रक	इमलिया
109	724	हिड़की	5	0	4.52	5.31	2.97	12.81	640.30	6.40	ट्रक	इमलिया
110	725	जमुनिया	0	0	5.22	3.32	2.77	11.31	565.60	5.66	ट्रक	इमलिया
111	731	गडाघाट	25	0	1.74	1.33	0.59	3.66	183.10	1.83	ट्रक	इमलिया
112	737	नेगुआ	13	0	9.05	2.99	1.39	13.42	671.10	6.71	ट्रक	इमलिया
113	738	नादिया	36	40	4.87	3.82	1.98	10.67	533.50	5.34	ट्रक	इमलिया
114	739	केसली	36	0	0.00	3.32	0.99	4.31	215.50	2.16	ट्रक	इमलिया

योग . .

1992.30

1760.18

866.07

4214.40

228118.65

2281.19

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अभिलेख), जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश

सिंगरौली, दिनांक 30 जनवरी 2013

क्र. 137-भू-अभिलेख-140-2013.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20, 1959) की धारा 108 एवं 73 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर, सिंगरौली निर्देश देता हूँ कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम क्रमांक (2) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जाये:—

अनुसूची-1

प्रस्तावित राजस्व ग्राम करकोटा, राजस्व निरीक्षक मण्डल सासन, तहसील सिंगरौली, जिला सिंगरौली राज्य मध्यप्रदेश.

स. क्र.	पटवारी हल्का नं. सहित ग्राम का नाम					अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम
	पटवारी हल्का	ग्राम का नाम	सर्वे नं.	रकबा		प्रस्तावित राजस्व ग्राम करकोटा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
1	78	करकोटा	1. खाता 2. गैर खाता	111 70	106.80 67.10	अधीक्षक, भू-अभिलेख/भू-प्रबंधन
			योग . .	181	173.90	

अनुसूची-2

शेष बचे ग्राम का खसरा/रकबा

स. क्र.	पटवारी हल्का नं. सहित ग्राम का नाम					अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम
	पटवारी हल्का	ग्राम का नाम	सर्वे नं.	रकबा		राजस्व ग्राम हरहवा हेतु प्रस्तावित रकवे के बाद शेष बचा मूल ग्राम का रकवा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
1	78	हरहवा	1. खाता 2. गैर खाता	1154 274	803.12 236.96	अधीक्षक, भू-अभिलेख/भू-प्रबंधन
			योग . .	1428	1040.08	

S. No. 137-LR-2013.—In exercise of the power vested under Section 108.73 of the Madhya Pradesh Land revenue code 1959 (No. 20 of 1959) I am M. Selvendran, Collector & Distt. Magistrate, Singrauli directs that a record of rights shall be prepared for the Village mentioned I column (2) of the schedule below by the officer mentioned in column (3) thereof:—

SCHEDULE No.-1

Propossed name of Revenue Village Karkota R I Circle Sasan Tehsil Singrauli Distt. Singrauli (M. P.)

S.No.	Name of the village with P. C. No. (fully Details)					Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) abadiland
	Village	P.C. No.	Total Survey Number	Total Area		Proposed Name of Revenue Village Karkota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
1	Karkota	78	1. Private land 2. Govt. Land	111 70	106.80 67.10	SLR Land record/ Management
			Grand Total . .	181	173.90	

SCHEDULE No.—2

Balanced Area & Survey Number at own Revenue village Harhwa

S.No.	Name of the village with P. C. No. (fully details)			Designation of the of officer authorized to prepare record of of right of (Revenue village) on of abadi land & balance area Offer Proposed balanced total area & Survey Number of on Revenue Village		
	Village	P.C. No.	Total Survey Number	Total Area	Area	Number of on Revenue Village
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)
1	Harhwa	78	1. Private land 2 .Govt. Land	1154 274	803.12 236.96	SLR land record/ Management
			Grand Total . .	1428	1040.08	

क्र. 139-भू-अभिलेख-140-2013.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 1959) की धारा 108 एवं 73 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर, सिंगरौली निर्देश देता हूँ कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम क्रमांक (2) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जाये:—

अनुसूची-1

प्रस्तावित राजस्व ग्राम बोदरहवा, राजस्व निरीक्षक मण्डल मौहरिया तहसील चितरंगी जिला सिंगरौली राज्य मध्यप्रदेश

स. क्र.	पटवारी हल्का नं. सहित ग्राम का नाम				अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम	
	पटवारी हल्का	ग्राम का नाम	सर्वे नं.	रकबा	प्रस्तावित राजस्व ग्राम बोदरहवा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	102	बोदरहवा	1 खाता 2 गैर खाता	105 68	46.70 72.22	अधीक्षक, भू-अभिलेख/भू-प्रबंधन
			योग . .	173	118.92	

अनुसूची-2

शेष बचे ग्राम का खसरा/रकबा

स. क्र.	पटवारी हल्का नं. सहित ग्राम का नाम				अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम	
	पटवारी हल्का	ग्राम का नाम	सर्वे नं.	रकबा	राजस्व ग्राम "झरकटिया" हेतु प्रस्तावित रकवे के बाद शेष बचा मूल ग्राम का रकबा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	102	झरकटिया	1 खाता 2 गैर खाता	1041 418	477.30 420.21	अधीक्षक, भू-अभिलेख/भू-प्रबंधन
			योग . .	1459	897.51	

S. No. 139-LR-2013.—In exercise of the power vested under section 108.73 of the Madhya Pradesh Land revenue code 1959 (No. 20 of 1959) I am **M. Selvendran** Collector & Distt. Magistrate, Singrauli directs that a record of rights shall be prepared for the village mentioned I column (2) of the schedule below by the officer mentioned in column (3) thereof:—

SCHEDULE No.-1

S.No.	Propossed name of Revenue Village Bodarhwa RI Circle Maohriya, Tehsil Chitrangi, Distt. Singrauli (M. P.)				Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) abadiland	
	Name of the village with P. C. No. (fully Details)					
(1)	Village (2)	P.C. No. (3)	Total Survey Number (4)	Total Area (5)	Proposed Name of Revenue Village Bodarhwa (6)	
1	Bodarhwa	102	1. Private land 2. Govt. Land	105 68	46.70 72.22	SLR Land record/ Management
			Grand Total . .	173	118.92	

SCHEDULE No.-2

S.No.	Balanced Area & Survey Number at own Revenue village Jarkatiya				Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) on of abadi land & balance area Offer Proposed balanced total area & Survey Number of on Revenue Village (6)	
	Name of the village with P. C. No. (fully details)					
(1)	Village (2)	P.C. No. (3)	Total Survey Number (4)	Total Area (5)		
1	Jarkatiya	102	1. Private land 2. Govt. Land	1041 418	477.30 420.21	SLR land record/ Management
			Grand Total . .	1459	897.51	

क्र. 141-भू-अभिलेख-140-2013.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 1959) की धारा 108 एवं 73 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर, सिंगरौली निर्देश देता हूँ कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम क्रमांक (2) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जाये:—

अनुसूची—1

प्रस्तावित राजस्व ग्राम मुनगहवा राजस्व निरीक्षक मण्डल सासन, तहसील सिंगरौली, जिला सिंगरौली राज्य मध्यप्रदेश.

स. क्र.	पटवारी हल्का न. सहित ग्राम का नाम				अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम	
(1)	पटवारी हल्का (2)	ग्राम का नाम (3)	सर्वे नं. (4)	रकबा (5)	प्रस्तावित राजस्व ग्राम मुनगहवा (6)	
1	70	मुनगहवा	1. खाता 2. गैर खाता	378 220	205.13 315.38	अधीक्षक, भू-अभिलेख/भू-प्रबंधन
			योग . .	598	335.51	

अनुसूची—2

शेष बचे ग्राम का खसरा/रकबा

स. क्र.	पटवारी हल्का न. सहित ग्राम का नाम				रकबा	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम राजस्व ग्राम "गोभा" हेतु प्रस्तावित रकबे के बाद शेष बचा मूल ग्राम का रकबा
	पटवारी हल्का	ग्राम का नाम	सर्वे नं.	रकबा		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	70	गोभा	1. खाता 2. गैर खाता	403 268	282.37 340.33	अधीक्षक, भू-अभिलेख/भू-प्रबंधन
			योग . .	<u>671</u>	<u>622.70</u>	

S. No. 141-LR-2013.—In exercise of the power vested under section 108.73 of the Madhya Pradesh Land revenue code 1959 (No. 20 of 1959) I am M. Selvendran Collector & Distt. Magistrate, Singrauli directs that a record of rights shall be prepared for the Village mentioned I column (2) of the schedule below by the officer mentioned in column (3) thereof:—

SCHEDULE No.-1

Proposed name of Revenue Village Mungahwa, R I Circle Sasan, Tehsil Singrauli, Distt. Singrauli (M. P.)

S.No.	Name of the village with P. C. No. (fully Details)				Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) abadi land	
(1)	Village	P.C. No.	Total Survey Number	Total Area	Proposed Name of Revenue Village Mungahwa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Mungahwa	70	1. Private land 2. Govt. Land	378 220	205.13 315.38	SLR Land record/ Management
			Grand Total . .	<u>598</u>	<u>335.51</u>	

SCHEDULE No.-2

Balanced Area & Survey Number at own Revenue Village Gobha

S.No.	Name of the village with P. C. No. (fully Details)				Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) on of abadi land & balance area	
(1)	Village	P.C. No.	Total Survey Number	Total Area	Offer Proposed balanced total area & Survey Number of on Revenue Village	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Gobha	70	1. Private land 2. Govt. Land	403 268	282.37 340.33	SLR land record/ Management
			Grand Total . .	<u>671</u>	<u>622.70</u>	

क्र. 143-भू-अभिलेख-140-2013.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20, 1959) की धारा 108 एवं 73 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर, सिंगरौली निर्देश देता हूँ कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम क्रमांक (2) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जायें:—

अनुसूची—1

प्रस्तावित राजस्व ग्राम गिधौहा, राजस्व निरीक्षक मण्डल कोरावल, तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली राज्य मध्यप्रदेश.

स. क्र.	पटवारी हल्का नव सहित ग्राम का नाम				अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम	
	पटवारी हल्का	ग्राम का नाम	सर्वे नं.	रकबा	प्रस्तावित राजस्व ग्राम गिधौहा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	3	गिधौहा	1. खाता 2. गैर खाता योग . .	137 88 225	91.86 85.93 177.79	अधीक्षक, भू-अभिलेख/भू-प्रबंधन

अनुसूची—2

शेष बचे ग्राम का खसरा/रकबा

स. क्र.	पटवारी हल्का नव सहित ग्राम का नाम				अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम	
	पटवारी हल्का	ग्राम का नाम	सर्वे नं.	रकबा	राजस्व ग्राम खम्हारडीह हेतु प्रस्तावित रकबे के बाद शेष बचा मूल ग्राम का रकबा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	3	खम्हारडीह	1. खाता 2. गैर खाता योग . .	1195 310 1505	459.23 258.58 717.85	अधीक्षक, भू-अभिलेख/भू-प्रबंधन

S. No. 143-LR-2013.—In exercise of the power vested under section 108.73 of the Madhya Pradesh Land revenue code 1959 (No. 20 of 1959) I am M. Selvendran Collector & Distt. Magistrate, Singrauli directs that a record of rights shall be prepared for the Village mentioned I column (2) of the schedule below by the officer mentioned in column (3) thereof:—

SCHEDULE No.-1

Propossed name of Revenue Village Gidhauha, R I Circle Korawal, Tehsil Chitrangi, Distt. Singrauli (M. P.)

S.No.	Name of the village with P. C. No. (fully Details)				Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) on of abadi land & balance area	
	Village	P.C. No.	Total Survey. Number	Total Area	Offer Proposed balanced total area & Survey Number of on Revenue Village	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Gidhauha	3	1. Private land 2. Govt. Land Grand Total . .	137 88 225	91.86 85.93 177.79	SLR Land record/ Management

SCHEDULE No.—2

Balanced Area & Survey Number at own Revenue Village Khamhardih

S.No.	Name of the village with P. C. No. (fully Details)				Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) on of abadi land & balance area
	Village	P.C. No.	Total Survey Number	Total Area	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Khamhardih	3	1. Private land 1195 2. Govt. Land 310 Grand Total . . 1505	459.23 258.58 717.81	SLR land record/ Management

क्र. 145-भू-अभिलेख-140-2013.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20, 1959) की धारा 108 एवं 73 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर, सिंगरौली निर्देश देता हूँ कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम क्रमांक (2) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जायें:—

अनुसूची—1

प्रस्तावित राजस्व ग्राम बगढ़ा, राजस्व निरीक्षक मण्डल दुधमनिया, तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली राज्य मध्यप्रदेश.

स. क्र.	पटवारी हल्का नव सहित ग्राम का नाम				अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	पटवारी हल्का	ग्राम का नाम	सर्वे नं.	रकबा	प्रस्तावित राजस्व ग्राम बगढ़ा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	98	बगढ़ा	1. खाता 46 2. गैर खाता 163 योग . . 209	48.91 148.94 197.85	अधीक्षक, भू-अभिलेख/भू-प्रबंधन

अनुसूची—2

शेष बचे ग्राम का खसरा/रकबा

स. क्र.	पटवारी हल्का नव सहित ग्राम का नाम				अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	पटवारी हल्का	ग्राम का नाम	सर्वे नं.	रकबा	राजस्व ग्राम कपूरदेई हेतु प्रस्तावित रकबे के बाद शेष बचा मूल ग्राम का रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	98	कपूरदेई	1. खाता 763 2. गैर खाता 539 योग . . 1302	392.79 493.87 886.66	अधीक्षक, भू-अभिलेख/भू-प्रबंधन

S. No. 145-LR-2013.—In exercise of the power vested under section 108.73 of the Madhya Pradesh Land revenue code 1959 (No. 20 of 1959) I am M. Selvendran Collector & Distt. Magistrate, Singrauli directs that a record of rights shall be prepared for the village mentioned I column (2) of the schedule below by the officer mentioned in column (3) thereof:—

SCHEDULE No.-1

Proposed name of Revenue Village Bagda, RI Circle Dudhmaniya, Tehsil Chitrangi, Distt. Singrauli (M. P.)

S.No.	Name of the village with P. C. No. (fully details)				Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) abadi land
	Village	P.C. No.	Total Survey. Number	Total Area	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bagda	98	1. Private land 46 2. Govt. Land 163	48.91 148.94	SLR Land record/ Management
			Grand Total . .	<u>209</u> <u>197.85</u>	

SCHEDULE No.—2

Balanced Area & Survey Number at own Revenue Village Kapurdai

S.No.	Name of the village with P. C. No. (fully Details)				Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) on of abadi land & balance area
	Village	P.C. No.	Total Survey Number	Total Area	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kapurdai	3	1. Private land 763 2. Govt. Land 539	392.79 493.87	SLR land record/ Management
			Grand Total . .	<u>1302</u> <u>886.66</u>	

क्र. 146-भू-अभिलेख-140-2013.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20, 1959) की धारा 108 एवं 73 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर, सिंगरौली निर्देश देता हूँ कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जायें:—

अनुसूची—1

प्रस्तावित राजस्व ग्राम गुलरिहा, राजस्व निरीक्षक मण्डल दुधमनिया, तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली राज्य मध्यप्रदेश.

स. क्र.	पटवारी हल्का नव सहित ग्राम का नाम				अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम
	पटवारी हल्का	ग्राम का नाम	सर्वे नं.	रकबा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	95	गुलरिहा	1. खाता 478 2. गैर खाता 102 योग . . 580	143.26 78.03 <u>221.29</u>	अधीक्षक, भू-अभिलेख/भू-प्रबंधन

अनुसूची—2

शेष बचे ग्राम का खसरा/रकबा

स. क्र.	पटवारी हल्का नं. सहित ग्राम का नाम				अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम	
(1)	पटवारी हल्का	ग्राम का नाम	सर्वे नं.	रकबा	(6)	
1	95	पथरकटी	1. खाता 2. गैर खाता	448 171	147.29 105.56	राजस्व ग्राम "पथरकटी" हेतु प्रस्तावित रकबे के बाद शेष बचा मूल ग्राम का रकबा अधीक्षक, भू-अभिलेख/भू-प्रबंधन
			योग . .	619	252.85	

S. No. 146-LR-2013.—In exercise of the power vested under section 108.73 of the Madhya Pradesh Land revenue code 1959 (No. 20 of 1959) I am M. Selvendran Collector & Distt. Magistrate, Singrauli directs that a record of rights shall be prepared for the village mentioned I column (2) of the schedule below by the officer mentioned in column (3) thereof:—

SCHEDULE No.-1

Proposed name of Revenue Village Gulriha, R I Circle Dudhmaniya, Tehsil Chitrangi, Distt. Singrauli (M. P.)

S.No.	Name of the village with P. C. No. (fully Details)				Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) abadiland	
(1)	Village	P.C. No.	Total Survey. Number	Total Area	Proposed Name of Revenue Village Gulriha	
1	Gulriha	95	1. Private land 2. Govt. Land	478 102	143.26 78.03	SLR Land record/ Management
			Grand Total . .	580	221.29	

SCHEDULE No.—2

Balanced Area & Survey Number at own Revenue Village Patharkati

S.No.	Name of the village with P. C. No. (fully Details)				Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) on of abadi land & balance area	
(1)	Village	P.C. No.	Total Survey Number	Total Area	Offer Proposed balanced total area & Survey Number of on Revenue Village	
1	Patharkati	95	1. Private land 2. Govt. Land	448 171	147.29 105.56	SLR land record/ Management
			Grand Total . .	619	252.85	

क्र. 148-भू-अभिलेख-140-2013.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 1959) की धारा 108 एवं 73 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर, सिंगरौली निर्देश देता हूँ कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम क्रमांक (2) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जाये:—

अनुसूची—1

प्रस्तावित राजस्व ग्राम महदेवा टोला राजस्व निरीक्षक मण्डल माडा तहसील माडा, जिला सिंगरौली राज्य मध्यप्रदेश.

स. क्र.	पटवारी हल्का नं. सहित ग्राम का नाम				अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम	
	पटवारी हल्का	ग्राम का नाम	सर्वे नं.	रकबा	प्रस्तावित राजस्व ग्राम महदेवा टोला	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	90	महदेवा टोला	1. खाता 2. गैर खाता योग . .	616 180 796	421.08 312.19 733.27	अधीक्षक, भू-अभिलेख/भू-प्रबंधन

अनुसूची—2

शेष बचे ग्राम का खसरा/रकबा

स. क्र.	पटवारी हल्का नं. सहित ग्राम का नाम				अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम	
	पटवारी हल्का	ग्राम का नाम	सर्वे नं.	रकबा	राजस्व ग्राम “खम्हरिया” हेतु प्रस्तावित रकबे के बाद शेष बचा मूल ग्राम का रकबा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	90	खम्हरिया	1. खाता 2. गैर खाता योग . .	937 157 1094	338.34 381.75 720.09	अधीक्षक, भू-अभिलेख/भू-प्रबंधन

S. No. 148-LR-2013.—In exercise of the power vested under section 108.73 of the Madhya Pradesh Land revenue code 1959 (No. 20 of 1959) I am M. Selvendran Collector & Distt. Magistrate, Singrauli directs that a record of rights shall be prepared for the village mentioned I column (2) of the schedule below by the officer mentioned in column (3) thereof:—

SCHEDULE No.-1

Propossed name of Revenue Village Mahdeva Tola R I Circle Mada, Tehsil Mada, Distt. Singrauli (M. P.)

S.No.	Name of the village with P. C. No. (fully Details)				Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) abadiland	
	Village	P.C. No.	Total Survey. Number	Total Area	Proposed Name of Revenue Village Mahdeva Tola	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Mahdeva Tola	90	1. Private land 2. Govt. Land Grand Total . .	616 180 796	421.08 312.19 733.27	SLR Land record/ Management

SCHEDULE No.—2

Balanced Area & Survey Number at own Revenue Village Khamhariya.

S.No.	Name of the village with P. C. No. (fully Details)				Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) on of abadi land & balance area	
	Village	P.C. No.	Total Survey Number	Total Area		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Khamhariya	90	1. Private land 2. Govt. Land Grand Total . .	937 157 1094	338.34 381.75 720.09	Offer Proposed balanced total area & Survey Number of on Revenue Village SLR land record/ Management

क्र. 150-भू-अभिलेख-140-2013.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 1959) की धारा 108 एवं 73 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर, सिंगरौली निर्देश देता हूँ कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम क्रमांक (2) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जाये:—

अनुसूची—1

प्रस्तावित राजस्व ग्राम पिपरहवा टोला राजस्व निरीक्षक मण्डल दुधमनिया तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली राज्य मध्यप्रदेश.

स. क्र.	पटवारी हल्का नं. सहित ग्राम का नाम				अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम	
(1)	पटवारी हल्का	ग्राम का नाम	सर्वे नं.	रकबा	(6)	
1	97	पिपरहवा टोला	1. खाता 2. गैर खाता योग . .	437 642 1079	190.75 482.88 613.63	अधीक्षक, भू-अभिलेख/भू-प्रबंधन

अनुसूची—2

शेष बचे ग्राम का खसरा/रकबा

स. क्र.	पटवारी हल्का नं. सहित ग्राम का नाम				अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम	
(1)	पटवारी हल्का	ग्राम का नाम	सर्वे नं.	रकबा	(6)	
1	97	वगैया	1. खाता 2. गैर खाता योग . .	1622 879 2501	555.96 665.79 1221.75	राजस्व ग्राम "वगैया" हेतु प्रस्तावित रकबे के बाद शेष बचा मूल ग्राम का रकबा अधीक्षक, भू-अभिलेख/भू-प्रबंधन

S. No. 150-LR-2013.—In exercise of the power vested under section 108.73 of the Madhya Pradesh Land revenue code 1959 (No. 20 of 1959) I am M. Selvendran Collector & Distt. Magistrate, Singrauli directs that a record of rights shall be prepared for the village mentioned I column (2) of the schedule below by the officer mentioned in column (3) thereof:—

SCHEDULE No.-1

Proposed name of Revenue Village Piprahva Tola, R I Circle Dudhmaniya, Tehsil Chitrangi, Distt. Singrauli (M. P.)

S.No.	Name of the village with P. C. No. (fully details)				Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) abadi land
	Village	P.C. No.	Total Survey. Number	Total Area	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Piprahva Tola	97	1. Private land 437 2. Govt. Land 642 Grand Total . . 1079	190.75 482.88 613.63	SLR Land record/ Management

SCHEDULE No.—2

Balanced Area & Survey Number at own Revenue Village Bagaiya

S.No.	Name of the village with P. C. No. (fully details)				Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) on of abadi land & balance area
	Village	P.C. No.	Total Survey Number	Total Area	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bagaiya	97	1. Private land 1622 2. Govt. Land 879 Grand Total . . 2501	555.96 665.79 1221.75	SLR land record/ Management

क्र. 152-भू-अभिलेख-140-2013.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20, 1959) की धारा 108 एवं 73 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर, सिंगरौली निर्देश देता हूँ कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम क्र. (2) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जायें:—

अनुसूची—1

प्रस्तावित राजस्व ग्राम तियरा राजस्व निरीक्षक मण्डल सासन तहसील सिंगरौली, जिला सिंगरौली राज्य मध्यप्रदेश.

स. क्र.	पटवारी हल्का नं. सहित ग्राम का नाम				अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	पटवारी हल्का	ग्राम का नाम	सर्वे नं.	रकबा	प्रस्तावित राजस्व ग्राम पलहवा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	85	पलहवा	1. खाता 793 2. गैर खाता 424 योग . . 1217	341.39 576.66 918.05	अधीक्षक, भू-अभिलेख/भू-प्रबंधन

अनुसूची—2

शेष बचे ग्राम का खसरा/रकबा

स. क्र.	पटवारी हल्का नं. सहित ग्राम का नाम				अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम	
(1)	पटवारी हल्का	ग्राम का नाम	सर्वे नं.	रकबा	राजस्व ग्राम तियरा हेतु प्रस्तावित रकबे के बाद शेष बचा मूल ग्राम का रकबा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	85	तियरा	1. खाता 2. गैर खाता योग . .	3523 175 3698	748.00 212.23 960.23	अधीक्षक, भू-अभिलेख/भू-प्रबंधन

S. No. 152-LR-2013.—In exercise of the power vested under section 108.73 of the Madhya Pradesh Land revenue code 1959 (No. 20 of 1959) I am M. Selvendran Collector & Distt. Magistrate, Singrauli directs that a record of rights shall be prepared for the village mentioned I column (2) of the schedule below by the officer mentioned in column (3) thereof:—

SCHEDULE No.—1

Proposed name of Revenue Village Tiyra R I Circle Sasan Tehsil Singrauli, Distt. Singrauli (M. P.)

S.No.	Name of the village with P. C. No. (fully details)				Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) abadi land	
(1)	Village	P.C. No.	Total Survey Number	Total Area	Proposed Name of Revenue Village Palhwa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Palhwa	70	1. Private land 2. Govt. Land Grand Total . .	793 424 1217	341.39 576.66 918.05	SLR Land record/ Management

SCHEDULE No.—2

Balanced Area & Survey Number at own Revenue Village Tiyra

S.No.	Name of the village with P. C. No. (fully details)				Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) on of abadi land & balance area	
(1)	Village	P.C. No.	Total Survey Number	Total Area	Offer Proposed balanced total area & Survey Number of on Revenue Village	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Tiyra	85	1. Private land 2. Govt. Land Grand Total . .	3523 175 3698	748.00 212.23 960.23	SLR land record/ Management

क्र. 154-भू-अभिलेख-140-2013.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20, 1959) की धारा 108 एवं 73 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर, सिंगरौली निर्देश देता हूँ कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम क्रमांक (2) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जायें:—

अनुसूची—1

प्रस्तावित राजस्व ग्राम घोड़दर राजस्व निरीक्षक मण्डल चितरंगी, तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली, राज्य मध्यप्रदेश.

स. क्र.	पटवारी हल्का नं. सहित ग्राम का नाम				अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम	
(1)	पटवारी हल्का	ग्राम का नाम	सर्वे नं.	रकबा	प्रस्तावित राजस्व ग्राम घोड़दर	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	67	घोड़दर	1. खाता 2. गैर खाता योग . .	418 66 484	222.57 63.46 286.03	अधीक्षक, भू-अभिलेख/भू-प्रबंधन

अनुसूची—2

शेष बचे ग्राम का खसरा/रकबा

स. क्र.	पटवारी हल्का नं. सहित ग्राम का नाम				अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम	
(1)	पटवारी हल्का	ग्राम का नाम	सर्वे नं.	रकबा	राजस्व ग्राम "धवई" हेतु प्रस्तावित रकबे के बाद शेष बचा मूल ग्राम का रकबा	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	67	धवई	1. खाता 2. गैर खाता योग . .	1410 371 1781	449.15 177.52 626.67	अधीक्षक, भू-अभिलेख/भू-प्रबंधन

S. No. 154-LR-2013.—In exercise of the power vested under section 108.73 of the Madhya Pradesh Land revenue code 1959 (No. 20 of 1959) I am M. Selvendran Collector & Distt. Magistrate, Singrauli directs that a record of rights shall be prepared for the village mentioned I column (2) of the schedule below by the officer mentioned in column (3) thereof:—

SCHEDULE No.-1

Proposed name of Revenue Village Ghordar R I Circle Chitrangi, Tehsil Chitrangi, Distt. Singrauli (M. P.)

S.No.	Name of the village with P. C. No. (fully details)				Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) abadi land	
(1)	Village	P.C. No.	Total Survey Number	Total Area	Proposed Name of Revenue Village Ghordar	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Ghordar	67	1. Private land 2. Govt. Land Grand Total . .	418 66 484	222.57 63.46 286.03	SLR Land record/ Management

SCHEDULE NO—2

Balanced Area & Survey Number at own Revenue Village Dhavai

S.No.	Name of the village with P. C. No. (fully Details)				Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) on of abadi land & balance area	
	Village	P.C. No.	Total Survey Number	Total Area		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Dhavai	67	1. Private land 2. Govt. Land Grand Total . .	1410 371 1781	449.74 177.52 626.67	Offer Proposed balanced total area & Survey Number of on Revenue Village SLR land record/ Management

क्र. 156-भू-अभिलेख-140-2013.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20, 1959) की धारा 108 एवं 73 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर, सिंगरौली निर्देश देता हूँ कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम क्रमांक (2) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जाये:—

अनुसूची—1

प्रस्तावित राजस्व ग्राम भितरी राजस्व निरीक्षक मण्डल चितरंगी तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली राज्य मध्यप्रदेश.

स. क्र.	पटवारी हल्का नं. सहित ग्राम का नाम				अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम	
(1)	पटवारी हल्का	ग्राम का नाम	सर्वे नं.	रकबा	प्रस्तावित राजस्व ग्राम "भितरी"	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	71	भितरी	1. खाता 2. गैर खाता योग . .	55 60 115	38.96 60.32 99.28	अधीक्षक, भू-अभिलेख/भू-प्रबंधन

अनुसूची—2

शेष बचे ग्राम का खसरा/रकबा

स. क्र.	पटवारी हल्का नं. सहित ग्राम का नाम				अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम	
(1)	पटवारी हल्का	ग्राम का नाम	सर्वे नं.	रकबा	राजस्व ग्राम "देवरी" हेतु प्रस्तावित रकबे के बाद शेष बचा मूल ग्राम का रकबा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	71	देवरी	1. खाता 2. गैर खाता योग . .	232 133 365	143.84 217.87 361.71	अधीक्षक, भू-अभिलेख/भू-प्रबंधन

S. No. 156-LR-2013.—In exercise of the power vested under section 108.73 of the Madhya Pradesh Land revenue code 1959 (No. 20 of 1959) I am M. Selvendran Collector & Distt. Magistrate, Singrauli directs that a record of rights shall be prepared for the village mentioned I column (2) of the schedule below by the officer mentioned in column (3) thereof:—

SCHEDULE No.-1

Propossed name of Revenue Village Bhitari R I Circle Chitrangi Tehsil Chitrangi, Distt. Singrauli (M. P.)

S.No.	Name of the village with P. C. No. (fully Details)				Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) abadi land	
	Village	P.C. No.	Total Survey. Number	Total Area		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Bhitari	71	1. Private land 2. Govt. Land	55 60	38.96 60.32	SLR Land record/ Management
Grand Total . .				115	99.28	

SCHEDULE NO—2

Balanced Area & Survey Number at own Revenue Village Deori

S.No.	Name of the village with P. C. No. (fully Details)				Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) on of abadi land & balance area	
	Village	P.C. No.	Total Survey Number	Total Area		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Deori	71	1. Private land 2. Govt. Land	232 133	143.87 217.87	SLR land record/ Management
Grand Total . .				365	361.71	

क्र. 158-भू-अभिलेख-140-2013.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20, 1959) की धारा 108 एवं 73 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर, सिंगरौली निर्देश देता हूँ कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम क्रमांक (2) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जाये:—

अनुसूची—1

प्रस्तावित राजस्व ग्राम मुड़वनिया टोला राजस्व निरीक्षक मण्डल सासन तहसील सिंगरौली, जिला सिंगरौली राज्य मध्यप्रदेश.

स. क्र.	पटवारी हल्का नं. सहित ग्राम का नाम				अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम	
	पटवारी हल्का	ग्राम का नाम	सर्वे नं.	रकबा	प्रस्तावित राजस्व ग्राम "मुड़वनिया" टोला	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	71	मुड़वनिया टोला	1. खाता 2. गैर खाता	211 271	116.55 203.33	अधीक्षक, भू-अभिलेख/भू-प्रबंधन
योग . .				482	319.88	

अनुसूची—2

शेष बचे ग्राम का खसरा/रकबा

स. क्र.	पटवारी हल्का नव सहित ग्राम का नाम				अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	71	बरहपान	1. खाता 2. गैर खाता	855 454	431.78 610.43	राजस्व ग्राम "बरहपान" हेतु प्रस्तावित रकबे के बाद शेष बचा मूल ग्राम का रकबा अधीक्षक, भू-अभिलेख/भू-प्रबंधन
योग . .				1309	1042.21	

S. No. 158-LR-2013.—In exercise of the power vested under section 108.73 of the Madhya Pradesh Land revenue code 1959 (No. 20 of 1959) I am M. **Selvendran** Collector & Distt. Magistrate, Singrauli directs that a record of rights shall be prepared for the village mentioned I column (2) of the schedule below by the officer mentioned in column (3) thereof:—

SCHEDULE No.-1

S.No.	Propossed name of Revenue Village Mudvaniya Tola R I Circle Sasan Tehsil Singrauli, Distt. Singrauli (M. P.) Name of the village with P. C. No. (fully Details)				Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) abadiland	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Mudvaniya Tola	71	1. Private land 2. Govt. Land	211 271	116.55 203.33	SLR Land record/ Management
Grand Total . .				482	319.88	

SCHEDULE NO—2

S.No.	Balanced Area & Survey Number at own Revenue Village Barahpan Name of the village with P. C. No. (fully Details)				Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) on of abadi land & balance area	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Barahpan	71	1. Private land 2. Govt. Land	855 454	431.78 610.43	SLR land record/ Management
Grand Total . .				1309	1042.21	

क्र. 160-भू-अभिलेख-140-2013.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20, 1959) की धारा 108 एवं 73 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर, सिंगरौली निर्देश देता हूँ कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम क्रमांक (2)

में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जाये:—

अनुसूची—1

स. क्र.	पटवारी हल्का न. सहित ग्राम का नाम	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम
	प्रस्तावित राजस्व ग्राम भलुहीटोला राजस्व निरीक्षक मण्डल बरगवां तहसील देवसर, जिला सिंगरौली राज्य मध्यप्रदेश.	प्रस्तावित राजस्व ग्राम "भलुहीटोला"
(1)	(2)	(3)
1	77	भलुहीटोला
		सर्वे नं. (4)
		रकबा (5)
		1. खाता 138 197.07
		2. गैर खाता 62 107.45
		योग . . 200 304.52

अनुसूची—2

स. क्र.	पटवारी हल्का न. सहित ग्राम का नाम	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम
	शेष बचे ग्राम का खसरा/रकबा	राजस्व ग्राम "बाघाडीह" हेतु प्रस्तावित रकबे के बाद शेष बचा मूल ग्राम का रकबा
(1)	(2)	(3)
1	77	बाघाडीह
		सर्वे नं. (4)
		रकबा (5)
		1. खाता 528 761.46
		2. गैर खाता 119 182.20
		योग . . 647 943.66

S. No. 160-LR-2013.—In exercise of the power vested under Section 108.73 of the Madhya Pradesh Land revenue code 1959 (No. 20 of 1959) I am **M. Selvendran**, Collector & Distt. Magistrate, Singrauli directs that a record of rights shall be prepared for the village mentioned I column (2) of the schedule below by the officer mentioned in column (3) thereof:—

SCHEDULE No.-1

S.No.	Name of the village with P. C. No. (fully details)	Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) abadiland
	Propossed name of Revenue Village Bhaluhi Tola R I Circle Bargwa, Tehsil Deosar Distt. Singrauli (M. P.)	Proposed Name of Revenue Village Bhaluhi Tola
(1)	(2)	(3)
1	Bhaluhi Tola	SLR Land record/ Management
		Total Survey. Number (4)
		Total Area (5)
		1. Private land 138 197.07
		2. Govt. Land 62 107.45
		Grand Total . . 200 304.52

SCHEDULE No.—2

Balanced Area & Survey Number at own Revenue Village Baghadih

S.No.	Name of the village with P. C. No. (fully details)	Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue village) on of abadi land & balance area
	Offer Proposed balanced total area & Survey Number of on Revenue Village	
(1)	(2)	(3)
1	Baghadih	SLR land record/ Management
		Total Survey Number (4)
		Total Area (5)
		1. Private land 528 761.46
		2. Govt. Land 119 182.20
		Grand Total . . 647 943.66

एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 30 जनवरी 2013

क्र. 01-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	बिजौली	6.82	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की रसीदपुर शाखा की 1-एल/3-एल मायनर के निर्माण हेतु.
कुल योग . .			6.82		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 02-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	भेलाकला	2.920	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की रसीदपुर शाखा की एम-3 एल के निर्माण हेतु.
कुल योग . .			2.920		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 31 जनवरी 2013

प्र. क्र. 7-अ-82 वर्ष 12-13-भू-अर्जन-1053.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	करपा	6.541	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई	करपा जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अतिरिक्त अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 2 फरवरी 2013

क्र. 334-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण		लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	रिमारी	0.952	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.)	सिरमौर वितरक नहर की सिमारी माइनर एवं सबमाइनर की ग्राम रिमारी के 0.952 हे. में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 336-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	फरहद कोठार	0.016	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.)	सिरमौर वितरक नहर की सिमारी माइनर एवं सबमाइनर की ग्राम फरहद कोठार के 0.016 हे. में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 338-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	बदरौंव वृत्त	0.292	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.)	सिरमौर वितरक नहर की डोल माइनर एवं सबमाइनर की ग्राम बदरौंव वृत्त के 0.292 हे. में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 340-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	भेड़रहा कोठार	0.036	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.)	सिरमौर वितरक नहर की डोल माइनर एवं सबमाइनर की ग्राम भेड़रहा कोठार के 0.036 हे. में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 342-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1) रीवा	(2) सिरमौर	(3) नकटा पवाई	(4) 0.084	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.)	सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सबमाइनर की ग्राम नकटा पवाई के 0.084 हे. में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 344-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1) रीवा	(2) सिरमौर	(3) पथरी पवाई	(4) 0.098	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.)	सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सबमाइनर की ग्राम पथरी पवाई के 0.098 हे. में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 346-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1) रीवा	(2) सिरमौर	(3) डेलही कोठार	(4) 1.590	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.)	सिरमौर वितरक नहर की डेल माइनर एवं सबमाइनर की ग्राम डेलही कोठार के 1.590 हे. में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 348-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	तिलखन	0.403	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सबमाइनर की ग्राम नकट तिलखन के 0.403 हे. में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 350-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	फरहद जागीर.	0.361	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सबमाइनर की ग्राम फरहद जागीर के 0.361 हे. में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 352-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	पुरवा कोठार.	0.244	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सबमाइनर की ग्राम पुरवा कोठार के 0.244 हे. में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 29 जनवरी 2013

प्र. क्र. 04-2012-13-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के आगे (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
शिवपुरी	पिछोर	तिंधारी	880	0.09	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी जिला शिवपुरी, (म. प्र.).	महुअर मध्यम परियोजना के अंतर्गत दांयी तट नहर के निर्माण हेतु.
			915	0.01		
			916	0.29		
			917	0.20		
			920	0.18		
			921	0.04		
			952/1	0.25		
			952/2	0.28		
			954/1	0.03		
			954/2	0.09		
			955	0.20		
			957	0.08		
			958/1	0.30		
			961	0.47		
			963	0.16		
			964	0.19		
			969	0.01		
			970	1.03		
			971	0.01		
			1011	0.01		
			1013	0.25		
			1017/1	0.51		
			1017/2	0.37		
			1023	0.03		
			1024	0.47		
			1025	0.01		
			1192	0.03		
			1195	0.30		
			1196	0.01		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			1197	0.01		
			1199	0.12		
			1200	0.02		
			1201	0.13		
			1202	0.02		
			1203	0.03		
			1204	0.01		
			1205	0.03		
			1209	0.26		
			1218	0.25		
			1219	0.15		
			1221	0.02		
			1240	0.32		
			1242/1	0.24		
			1242/2	0.34		
			1245	0.25		
			1260	0.11		
			1264	0.22		
			1265	0.01		
			1840/1	0.07		
			1840/2752	0.03		
			1842/2	0.06		
			1843	0.05		
			1845	0.16		
			1846	0.01		
			1854/1	0.35		
			1854/3	0.03		
			1858	0.29		
			1867	0.25		
			1868	0.38		
			1872	0.05		
			1874	0.09		
			1878	0.35		
			1884/2	0.15		
			1885/2	0.13		
			1886	0.16		
			1888	0.03		
			1947	0.17		
			2183	0.07		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			2184	0.15		
			2185	0.02		
			2188	0.02		
			2189	0.20		
			2190	0.13		
			2215	0.04		
			2217	0.09		
			2287	0.40		
			2289/1	0.28		
			2289/2	0.16		
			2320	0.03		
			2321	0.10		
			2322/1	0.06		
			2322/2	0.07		
			2323	0.01		
			2335/1	0.03		
			2335/2	0.02		
			2336/1	0.05		
			2336/2	0.08		
			2337/1	0.12		
			2337/2	0.13		
			2345	0.13		
			2346	0.26		
			2347	0.02		
			2351	0.10		
			2352	0.05		
			2353	0.03		
			2354	0.01		
			2355	0.14		
			2356	0.04		
			2358	0.02		
			2359	0.02		
			2363/2	0.14		
			2364/1	0.04		
			2364/2	0.05		
			2364/3	0.06		
			2364/4	0.03		
			2365	0.10		
			2366	0.03		
		योग . .		<u>14.78</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पिछोर शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

शिवपुरी, दिनांक 1 फरवरी 2013

क्र.-क्यू-भू-अर्जन-75.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के आगे (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण					धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	पिछोर	हीरापुर	450/10	0.13	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जिला शिवपुरी, (म. प्र.)	महुअर मध्यम परियोजना की दांयी तट नहर की उपशाखा क्रमांक 6 के निर्माण कार्य हेतु.
			450/11	0.14		
			450/12	0.13		
			450/13	0.13		
			450/15	0.13		
			450/16	0.14		
			450/17	0.10		
			451	0.05		
			452	0.31		
		योग . .	9	1.26		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पिछोर शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 5 फरवरी 2013

प्र. क्र. 01-अ-82-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) निजि भूमि	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लौड़ी (लवकुशनगर)	गिलौंहा	3.500	अनु. अधिकारी, (राजस्व) लौड़ी (लवकुशनगर)	सिंहपुर बैराज परियोजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, राजस्व लौड़ी, (लवकुशनगर) में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश बहुगुणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 6 फरवरी 2013

क्र.-क-1040-भू-अर्जन 13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में इसके सामने दिये गये उजनेटी-पाटन मार्ग निर्माण हेतु आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	पटवारी हल्का नंबर	क्षेत्रफल लगभग (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
सागर	बण्डा	पिपरिया चमारी	82	2.20	कार्यपालन यंत्री,	बीला फीडर नहर
सागर	बण्डा	पजनारी	75	0.94	जल संसाधन संभाग	निर्माण योजान्तर्गत.
सागर	बण्डा	तोड़ा	84	0.30	क्रमांक 2, सागर.	
सागर	बण्डा	मुड़ारी खुर्द	95	0.20		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है—(i) बीला फीडर नहर निर्माण योजनान्तर्गत निजी भूमि का भू-अर्जन.
 (3) भूमि का पूरक नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, बण्डा के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 5 फरवरी 2013

क्र. 170-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 27-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	महेश्वर	बड़वेल	1.370	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20, मण्डलेश्वर.	ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 169-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 28-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
खरगोन	महेश्वर	पिपल्या	13.577	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20, मण्डलेश्वर. ऑफ़िशियल उद्घहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 4 फरवरी 2013

क्र. 1605-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण		धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
धार	कुक्षी	लोणी	12.187	उरीबाग मध्यम सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण से प्रभावित होने से.
		अम्बाड़ा	7.377	
		सालखेड़ा	1.425	
		कापसी	11.026	
		बड़ग्यार	2.190	
		धनोरा	2.073	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

धार, दिनांक 6 फरवरी 2013

क्र.1807-ए-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	मण्डावदा आमसी बुहारला मालपुरा	16.573 22.967 3.660 14.480	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, धार.	मण्डावदा तालाब योजना अंतर्गत प्रभावित होने से.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन, अनुविभाग मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, धार (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र.1815-ए-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	आमसी बुहारला	38.955 2.410	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, धार.	आमसी तालाब योजना अंतर्गत प्रभावित होने से.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन, अनुविभाग मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, धार (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1823-ए-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	मालपुरा	35.464	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, धार.	मालपुरा तालाब योजना अंतर्गत प्रभावित होने से.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन, अनुविभाग मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, धार (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 6 फरवरी 2013

क्र. 812-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	बड़नगर	नकुचाखेड़ी	0.03	भू-अर्जन अधिकारी, बड़नगर.	बड़नगर-सुंदराबाद-खरसोदकलां उन्हेल मार्ग सड़क निर्माण हेतु अशासकीय भूमि का अधिग्रहण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बड़नगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 813-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	बड़नगर	टोकरा	0.15	भू-अर्जन अधिकारी, बड़नगर.	बड़नगर-सुंदराबाद-खरसोदकलां उन्हेल मार्ग, सुंदराबाद-रूनिजा-खाचरोद सड़क निर्माण हेतु अशासकीय भूमि का अधिग्रहण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बड़नगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 814-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	बड़नगर	पिटलावदिया	0.22	भू-अर्जन अधिकारी, बड़नगर.	बड़नगर-सुंदराबाद-खरसोद कलां उन्हेल मार्ग, सुंदराबाद-रूनिया-खाचरोद सड़क निर्माण हेतु अशासकीय भूमि का अधिग्रहण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बड़नगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 815-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	बड़नगर	बालोदाकोरन	0.09	भू-अर्जन अधिकारी, बड़नगर.	बड़नगर-सुंदराबाद-खरसोद कलां उन्हेलमार्ग, सुंदराबाद-रूनिया-खाचरोद सड़क निर्माण हेतु अशासकीय भूमि का अधिग्रहण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बड़नगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नीमच, दिनांक 24 जनवरी 2013

क्र. 249-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 1-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके

द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नीमच	जावद	हनुमंतिया	0.34	कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव राजस्व विभाग नीमच.	अठाना-हनुमंतिया खोर मार्ग पर ग्राम हनुमंतिया के पास हनुमंतिया नाले पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग में आने वाली भूमि का भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड जावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 31 जनवरी 2013

प्र. क्र.-01-अ-82-2011-12-क्र. 263-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित मकान (कच्चा छप्पर) की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) उल्लेखित अधिकारी को मकान कच्चा (छप्पर सामने) के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:-

अनुसूची

जिला	तहसील	मकान का वर्णन		धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का कारण
		ग्राम	मकान छप्पर का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
देवास	बागली	भीकुपुरा	मकान कच्चा 54.72 वर्ग मी. छप्पर सामने 17.00 वर्ग मी.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग देवास.	भीकुपुरा तालाब योजना के अंतर्गत ग्राम भीकुपुर स्थित मकान कच्चा अर्जन किया जाने से.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास एवं कार्यालय, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, बागली में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 7 फरवरी 2013

क्र. 175-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 1-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 (1), सह 17 (4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	बड़वाह	ससल्या खुर्द	0.435	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32, बड़वाह.	“नर्मदा-क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक योजना” के अंतर्गत पम्पिंग स्टेशन-1, सब स्टेशन एवं स्वीच यार्ड के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना, बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग-32, बड़वाह के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 12 फरवरी 2013

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ.-13-पत्र क्र. 47-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	बरहिया	6.453	कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि.प्रा.	बरगी व्यपवर्तन योजना अन्तर्गत
		जूरा	9.872	संभाग अमरपाटन, जिला सतना.	रीवा शाखा नहर के उपशाखा
		जरुआ नरवार	2.234		नहर के निर्माण हेतु.
		नादन शिवाप्रसाद	14.343		
		करीदी दुबे	0.946		
		तमोरिया	4.489		
		चपना	7.542		
		बठिया	14.663		

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 28 जनवरी 2013

क्र. 21-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—बरहाकला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—69/2.58 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
69/2.58	69/2.58

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—जरमोरा
बांध जल प्लावित भाग.

(3) भूमि के नक्शे का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 22 जनवरी 2013

प्र. क्र. 01-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन

अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त निजी की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—आष्टा
(ग) नगर/ग्राम—अरनियाजौहरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.831 हेक्टे.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
436/5	0.101
443-444-445/3	0.024
442/4	0.005
441/3क	0.028
458/1	0.041
441/6	0.032
443-444-445/1	0.006
443-444-445/2	0.13
458/2	0.069
496,644/495	0.202
500/2/2ख	0.097
500/2/7	0.13
500/3-501-502-572/2/1	0.202
500/3-501-502-572/2/2	0.13
500/3-501-502-572/2/2/3	0.154
500/3-501-502-572/2/4	0.154
504-505/1/10	0.012
504/1ख,505/1 ख	0.187
571/1,572/1	0.058
651/495/5	0.069
योग.	1.831

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—छापार
तालाब की नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन
एवं अनुविभागीय अधिकारी आष्टा के कार्यालय में किया
जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र क्रियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.470 हेक्टे.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 29 जनवरी 2013

भू-अर्जन-प्र.क्र. 07-अ-82-2012-13-शुद्धि-पत्र-प्रकरण
क्रमांक-07-अ-82-2012-13 ग्राम पूरनी तहसील पुनासा, जिला
खण्डवा कृषि भूमि अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा
6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (भाग-1) के पृष्ठ
क्रमांक 299, दिनांक 18 जनवरी 2013 को त्रुटिपूर्ण होने से संशोधित
प्रविष्टि निम्नानुसार पढ़ा जावे:—

कृषि भूमि

त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि सर्वे नंबर में (1)	संशोधित प्रविष्टि सर्वे नंबर में (2)
126/2 क	226/2 क
126/2 ख	226/2 ख

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

सर्वे नम्बर (1)	कुल रकबा (हे. में) (2)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में) (3)
--------------------	------------------------------	--

एम-2 एल माइनर

2066	3.480	0.3200
267/मिन-1	1.930	0.160
267/मिन-2	1.510	
2074	1.560	0.080
2073	0.360	0.030
2071	0.910	0.130
2018	1.030	0.150
2019	0.230	0.040
2011	0.540	0.090
2020	0.920	0.140
2008	0.260	0.090
2007	0.860	0.030
2012	0.650	0.090
2009	1.040	0.130
1990	0.540	0.070
1989	0.180	0.050
1981	0.350	0.020

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 30 जनवरी 2013

प्र. क्र. 115-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के
पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित
भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के
अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन
के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—बिजौली पार्ट-I

एम-3 एल माइनर

917	0.880	0.020
949	0.100	0.090
929	0.170	0.030
926	0.100	0.040
920	0.030	0.020
930	0.870	0.040
948	0.440	0.090
918	0.120	0.050
921	0.480	0.100
919	0.160	0.090
925	1.000	0.010
931	0.020	0.020
932	0.160	0.070
928/मिन-1	0.830	
928/मिन-2	0.830	0.010
928/मिन-3	0.450	
927/मिन-1	0.100	0.130
927/मिन-2	0.740	
709	0.200	0.110

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
711	0.170	0.030	1825	0.740	0.120
710	0.110	0.030	1824	0.900	0.010
714	0.120	0.010	1815	0.710	0.140
715	1.490	0.120	1532	1.460	0.020
713	0.240	0.010	1813	0.070	0.020
717	1.620	0.300	1812/मिन-1	0.040	0.020
690	1.050	0.190	1812/मिन-2	0.030	
680	0.640	0.070	1811	0.090	0.040
681	0.360	0.030	1808	0.540	0.080
683	0.620	0.070	1807	1.310	0.160
668/मिन-2	0.210	0.020	1547	0.900	0.040
668	0.270		1545	0.590	0.140
671/मिन-1	0.300	0.170	1549	1.500	0.240
671/मिन-2	0.600		1551	0.170	0.070
673	0.2520	0.100	1555	0.290	0.010
678	1.250	0.040	1565	0.040	0.020
672/मिन-1	0.350	0.060	1566	0.080	0.020
672/मिन-2	0.800		1564	0.160	0.070
674/मिन-1	0.100	0.040	1568	0.370	0.040
674/मिन-2	0.400		1579	0.180	0.040
653	1.200	0.130	1578	0.130	0.040
654	0.980	0.070	1577	0.120	0.030
655/मिन-1	0.210	0.090	1576	0.090	0.020
655/मिन-2	0.240		1574	0.180	0.080
656	0.420	0.020	1576	0.090	0.020
1896	0.080	0.020	1574	0.180	0.080
1898	0.720	0.070	1576	0.090	0.020
1895	0.930	0.160	1574	0.180	0.080
1889	0.720	0.110	1569	0.110	0.020
1902	0.610	0.020	1570	0.070	0.010
1891	0.510	0.010			
1894	1.640	0.040			योग. . 7.470
1903	0.440	0.130	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की रसीदपुर नहर की उपशाखा एम-2 एल एवं एम-3 एल के निर्माण हेतु.	
1890	0.090	0.130	(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.	
1844	1.320	0.070			
1876	1.970	0.180			
1883	1.250	0.070			
1881	1.270	0.140			
1880	0.050	0.010			
1879	1.820	0.250			
1878	1.360	0.140			
1829	0.570	0.110			
1828	0.550	0.030			
1827	0.500	0.160			

प्र. क्र. 117-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के

अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

			(1)	(2)	(3)
अनुसूची			332	0.120	0.020
334			334	0.340	0.140
335			335	0.150	0.030
(1) भूमि का वर्णन—			111	0.180	0.040
(क) जिला—ग्वालियर			95	0.190	0.010
(ख) तहसील—ग्वालियर			136	0.560	0.180
(ग) ग्राम—भेलाकला, भाग-I			112	0.630	0.050
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.980 हेक्टे.			138	0.430	0.010
सर्वे नम्बर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टर में)	63	0.060	0.030
			योग. . 1.980		
(1)	(2)	(3)	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की रसीदपुर नहर की उपशाखा एम-1/3 एल के निर्माण हेतु.		
230/मिन-1	0.300	0.010	(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.		
230/मिन-2	1.800		प्र. क्र. 121-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—		
232	0.320	0.050	अनुसूची		
233	0.710	0.040	(1) भूमि का वर्णन—		
238	0.250	0.070	(क) जिला—ग्वालियर		
239	0.070	0.030	(ख) तहसील—ग्वालियर		
240	0.120	0.020	(ग) ग्राम—बहांगीखुर्द		
227	0.360	0.140	(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.30 हे.		
222	1.680	0.170	सर्वे नम्बर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टर में)
212	0.190	0.100	(1)	(2)	(3)
211	0.410	0.140	2 एल माइनर		
188	0.210	0.060	439/1मिन-1	0.136	
187	0.180	0.070	439/1मिन-2	0.063	0.170
186	0.310	0.040	439/1मिन-3	0.073	
65	0.170	0.040	437	0.282	0.040
185	0.190	0.040	434	0.909	0.140
184	0.190	0.030	433	1.097	0.180
129	0.860	0.090			
64	0.070	0.020			
130	0.150	0.010			
99	0.050	0.010			
131	0.260	0.050			
137	0.270	0.020			
229	4.560	0.010			
213	0.310	0.020			
60	0.350	0.010			
110	0.160	0.030			
107	0.070	0.010			
98	0.050	0.030			
329	0.300	0.100			
328	0.150	0.010			

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की रसीदपुर नहर की उपशाखा एम-1 आर-2 एल एवं 3 एल के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 127-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—अरौली
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.640 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
122	1.100	0.180
121	1.170	0.140
119	1.600	0.300
89	1.840	0.310
87	0.310	0.050
88	1.680	0.240
79	0.090	0.030
78/मिन-1	1.460	0.110
78/मिन-2	0.420	
80	0.820	0.040
69	1.550	0.140
71	0.310	0.020
4	1.860	0.030
5	1.040	0.050
		योग. . 1.640

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की रसीदपुर नहर की उपशाखा एम-1 आर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 31 जनवरी 2013

प्र. क्र. 133-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—चीनौर
(ग) ग्राम—उर्वा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.17 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अवाप्त किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
246/1/मिन 5	0.418	
246/1/मिन 4	0.293	
246/1/मिन 3	0.627	0.499
246/1/मिन 2	0.418	
246/1 मिन 1	0.418	
247/1	3.135	
247/2	2.090	0.007
249 मिन 2	0.312	
249/मिन 2	0.836	
249/मिन-4	0.836	0.625
249/मिन-5	0.836	
249/मिन-6	0.838	
249/मिन-7	0.836	
249/मिन-8	0.836	
249/मिन-1	0.836	
250	1.017	0.082
253	1.035	0.123
254/1 मिन 2	1.045	
254/1 मिन 2	1.045	
254/1 मिन 4	0.880	
254/1 मिन 5	0.888	
254/1 मिन 6	0.888	
254/1 मिन 7	0.888	
254/7, 254/8	1.672	0.855
254/6	1.620	
254/4,254/5	2.142	
254/3	1.672	
254/2	1.045	

(1)	(2)	(3)
257	0.376	0.011
258	0.585	0.130
261	0.752	0.173
286	0.669	0.184
287	0.199	0.059
288	0.282	0.005
290	0.199	0.005
291	0.303	0.113
293	0.010	0.010
294	0.428	0.015
567	0.282	0.015
568	0.272	0.065
569	0.470	0.102
569/2/मिन-1	0.034	
571	0.460	0.010
573	0.491	0.011
574/मि.1	0.198	0.108
574 मि.2	0.105	
575	0.282	0.010
596	0.721	0.065
598	0.523	0.113
6.00	0.596	0.097
601	0.167	0.010
603	0.397	0.081
631	0.460	0.081
632	0.773	0.108
644	0.115	0.005
माईनर एम-15		
1134	0.428	0.175
1138/मि. 1	0.021	0.006
1138/मि. 2	0.031	
1139/मिन 1	0.878	0.110
1139/मिन 2	0.878	
1140/1	0.209	
1140/2	0.209	0.110
1140/3	0.418	
1141/1	0.251	0.097
1141	0.502	
1143/मिन-1	0.543	0.214
1143/मिन-2	0.544	
1145	0.042	0.006
1146	1.275	0.117
1147	0.136	0.020
1150	0.909	0.227

(1)	(2)	(3)
1152	0.533	0.194
1153	0.904	
1153/मि-1	0.394	
1153/मि-2	0.374	0.117
1153/मि-3	0.904	
योग.		<u>5.17</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शाखा एवं उपशाखा के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर का ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 138-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—भितरवार
(ग) ग्राम—डोंगरपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.32 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अवाप्त किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
198/1	0.408	
198/2 मिल	0.068	
198/3 मिन	0.067	0.247
198/3 मिन	0.136	
197/1 मिन	0.146	
197/1 मिन	0.147	
197/2 मिल	0.048	0.117
197/2 मिन	0.098	
197/3 मिन	0.048	
197/3 मिन	0.098	
190	1.359	0.171
234	0.178	0.009
235	1/0.230	0.018

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
237	0.021	0.018	176	0.314	0.045
238	0.314	0.081	174	1.410	0.36
239	0.010	0.009	179	0.397	0.153
243	0.63	0.009	199	1.014	0.027
240/1	0.120		949	0.219	0.049
240/2 मिन	0.020		950	0.240	
240/2 मिन	0.040	0.126	951	0.502	0.076
240/3 मिन	0.020		952	0.010	
240/3 मिन	0.040		954	0.512	0.143
244	0.021	0.018	955	0.408	0.143
691/1	0.126		956	0.679	0.221
691/2	0.063	0.007	957	0.533	0.021
691/3	0.063		960	0.694	0.005
747	0.575	0.122			योग. . 4.32
745	0.251	0.029			
746	0.240	0.023	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर के निर्माण हेतु.	
744	0.293	0.086	(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.	
743	0.188	0.086		मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	
738	0.167	0.039			
737/1	0.042				
737/2	0.021	0.079			
737/3	0.021				
736/1	0.156				
736/2	0.075	0.086			
736/3	0.076				
717	0.261	0.058			
718	0.136	0.101			
837	0.825	0.194			
844	0.178	0.028			
843	0.470	0.130			
845	0.188	0.055			
846	0.240	0.079			
920	0.596	0.181			
921	0.376	0.093			
719	0.219	0.029			
721	0.334	0.101			
722/1	0.042	0.014			
839	0.240	0.036			
919/मिन	0.298				
919/मिन	0.298	0.058			
925	1.170	0.324			
933	0.554	0.007			
932	0.606	0.065			
931/1	0.502	0.144			
931/2	0.502				

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 31 जनवरी 2013

क्र. 634-भूमि संपादन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उज्जैन

(ख) तहसील—नागादा

(ग) ग्राम—मेहतवास

(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.681 हेक्टे.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
402	5.728
401/1/1	1.953
कुल योग. .	
	7.681

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज केमिकल डिवीजन बिरला ग्राम नागदा के लिये ग्राम मोहतवास की निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी नागदा में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 31 जनवरी 2013

क्र. 796-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—सौसर
(ग) नगर/ग्राम—ढोकडोह, प.ह.नं. 53, ब.नं. 174, रा.नि.मंडल—सौसर.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.036 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
227	0.036
योग. .	
	0.036

हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—ढोकडोह जलाशय के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग सौसर जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

महेशचन्द्र चौधरी कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 5 फरवरी 2013

क्र. क-1001-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—बीना
(ग) ग्राम—पिपरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.659 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
142/2	0.397
143	0.085
144	0.177
योग. .	
	0.659

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना जिला विदिशा के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन हेतु.	(1)	(2)
	1009	0.260
	1014	0.010
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी बीना एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह्य नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.	637/2	0.040
	616	0.090
	312	0.020
	1000	0.170
	1008	0.300
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.	720	0.045
	444/1	0.180
	303	0.140
	308	0.135
	309	0.120
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	664/2	0.110
छतरपुर, दिनांक 5 फरवरी 2013	713/2	0.070
	320	0.010
प्र. क्र. 9-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—	445	0.005
	311	0.165
	326/1	0.022
	307	0.090
	644	0.005
	1011	0.445
	643	0.170
	433/2	0.110
अनुसूची	431	0.048
(1) भूमि का वर्णन—	430/2	0.180
(क) जिला—छतरपुर	396	0.195
(ख) तहसील—लवकुशनगर	306/2	0.015
(ग) ग्राम—सिजई	319	0.085
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—9.542 है.	446	0.385
	713/1	0.070
खसरा क्रमांक	664/1	0.070
	(हे. में)	937
(1)	(2)	935/1
444/2	0.210	936
729	0.005	991
731	0.005	1001
430/1	0.180	609
318	0.090	323
322	0.245	663
432	0.200	662
650	0.235	667/1
665/1	0.020	733
363	0.200	726/2
364	0.070	617 शा.नं. 636
366	0.130	935/2
668	0.400	1041
		0.030

(1)	(2)	(1)	(2)
715	0.065	968/1	0.057
722	0.300	969	0.054
730	0.210	339	0.065
433/1	0.170	1166/3	0.050
732	0.365	322/1	0.010
712	0.044	223/2	0.445
713/3	0.205	350	0.070
302	0.200	360	0.103
645	0.125	353/1	0.115
723	0.020	344	0.100
606/1	0.028	235/2	0.070
607	0.270	247/2	0.153
610	0.096	1164	0.147
612	0.090	1165	0.015
	योग. . 9.542	1169	0.040
(2) सिंहपुर बैराज परियोजनान्तर्गत मुख्य नहर/शाखा नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.		328/6	0.030
		847/1	0.105
		328/2	0.112
(3) भूमि के नक्शों (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लवकुशनगर किया जा सकता है.		246	0.320
		1166/1	0.100
		342	0.100
		328/4	0.118
प्र. क्र. 19-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—		1166/2	0.025
		1154	0.086
		1153	0.075
		326	0.220
		325	0.148
		323	0.240
		357	0.172
		366	0.030
		352	0.010
(1) भूमि का वर्णन—		353/2	0.054
(क) जिला—छतरपुर		362	0.140
(ख) तहसील—लवकुशनगर		1162	0.170
(ग) ग्राम—देवपुर		1163	0.187
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—4.860 है.		343	0.055
खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा	248/1	0.036
	(हे. में)	351	0.070
(1)	(2)	236	0.170
1209/1/2	0.046	971	0.186
361	0.025	970	0.096
237/2	0.030	326/3	0.030
341/1	0.016	1161	0.010
977	0.154		योग. . 4.860

(2) सिंहपुर बैराज परियोजनान्तर्गत मुख्य /शाखा नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.	(1) 32	(2) 0.030
(3) भूमि के नक्शों (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लवकुशनगर किया जा सकता है.	34/2 13	0.075 0.125
		योग. . 4.417

प्र. क्र. 23-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—लवकुशनगर

(ग) ग्राम—टिकौरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—4.417 है.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
64	0.390
14/2	0.010
63/1	0.140
7	0.080
28 शा.नं. 35,36	0.160
6	0.168
63/2	0.140
44/1	0.030
45	0.240
114	0.450
110/1	0.160
8/1	0.130
110/2	0.480
111	0.320
113/2	0.440
8/323/2	0.134
62	0.080
21	0.192
5	0.125
37	0.104
33	0.104
34/1	0.110

(2) सिंहपुर बैराज परियोजनान्तर्गत मुख्य /शाखा नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शों (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लवकुशनगर किया जा सकता है.

प्र. क्र. 23-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—लवकुशनगर

(ग) ग्राम—मुड़ेरी दक्षिणी

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—12.013 है.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
20	0.110
21	0.015
22/1	0.080
22/2	0.019
85/1	0.085
85/2	0.100
86	0.120
87 शा.नं. 88/1	0.170
89	0.150
97	0.090
98	0.130
102	0.120
103	0.005
104	0.040
105 शा.नं.106	0.112
107	0.070
108	0.060
112 शा.नं. 113	0.240

(1)	(2)	(1)	(2)
114	0.005	794	0.185
115	0.110	795	0.020
116	0.110	797	0.220
117	0.005	796	0.180
566	0.270	841 शा.नं. 842	0.170
567	0.075	843	0.090
568	0.235	845/1	0.150
582	0.140	845/2	0.100
585	0.176	800	0.085
588	0.114	801	0.115
589/1	0.015	805	0.310
589/2	0.086	837	0.200
590	0.081	965 शा.नं. 966	0.093
591 शा.नं. 592,593	0.280	967/1	0.200
594	0.120	967/2	0.225
486/2	0.005	975/2	0.170
486/3	0.020	972	0.170
486/4	0.040	973	0.130
119 शा.नं. 121,123	0.250	975/1	0.024
120	0.120	277	0.100
124	0.120	278	0.021
412/1	0.020	272	0.110
413	0.150	252/1	0.030
414	0.200	252/2	0.030
415/2	0.100	253	0.090
417/3	0.005	256	0.020
437/1	0.110	255	0.070
437/2	0.180	257	0.020
437/3	0.185	258,259,267	0.190
452	0.130	260 शा.नं. 261,266,268	0.070
453	0.245	262	0.070
454/1	0.120	263	0.030
454/2	0.110	24 शा.नं. 88/2	0.200
455	0.017	84	0.055
483 शा.नं. 482	0.190	850	0.005
484/1	0.078	851	0.340
484/2	0.138	852	0.425
485	0.025	565	0.015
487	0.370		योग. . 12.013
504/1	0.014		
504/2	0.050	(2) सिंहपुर बैराज परियोजनान्तर्गत मुख्य /शाखा नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.	
504/3	0.050		
505 शा.नं. 511	0.150	(3) भूमि के नक्शों (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लवकुश नगर में किया जा सकता है.	
506	0.180		
507	0.250		
546	0.005		
547	0.100		
793	0.020		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश बहुगुणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 8 फरवरी 2013

क्र. दस-भू-अर्जन-2013-फा. 570-प्र. क्र. 03-अ-82-2012-
2013-851.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया
है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की,
अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की
आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894
(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह
घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिये
आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शहडोल

(ख) तहसील—जैतपुर

(ग) ग्राम—टिकुरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.724 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टर में)

(1)

(2)

ग्राम—टिकुरी, पटवारी हल्का टिकुरी नम्बर 12

1190	0.020
738	0.081
679	0.010
637	0.061
466	0.070
464	0.010
462	0.070
465/1	0.030
2334	0.010
2330	0.010
492/1	0.010
1251	0.021
1247	0.010
1245	0.010
1216	0.021
1208	0.010
636	0.041
1199/1	0.030
1198/1	0.020

(1)	(2)
116/1	0.161
487	0.061
491	0.010
1223/2	0.021
1257	0.101
737	0.030
2477/1	0.070
680	0.020
629	0.049
625	0.041
468	0.030
461	0.020
2347/1	0.041
2335/1	0.049
2331	0.020
495	0.030
1255	0.030
1246	0.070
1215	0.030
1218	0.030
1207	0.021
1204	0.021
1197	0.020
1194	0.101
635	0.041
492	0.010
1223/1	0.020
1254	0.031
योग . .	
<u>1.724</u>	

(2) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शहडोल

(ख) तहसील—जैतपुर

(ग) ग्राम—रसमोहनी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.569 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टर में)

(1)

(2)

ग्राम—रसमोहनी, पटवारी हल्का रसमोहनी नम्बर 55

1360	0.010
1363	0.010
1386	0.010

(1)	(2)	(1)	(2)
1473	0.070	1242	0.010
1475	0.061	1241	0.041
1275	0.010	1135	0.049
1273	0.010	985	0.049
1262	0.061	963	0.021
1261/1	0.021	886	0.070
1237/1	0.021	987	0.020
1243	0.041	981	0.030
1240	0.010	975	0.030
1136/1	0.049	1104	0.030
1138/1	0.021	644	0.020
961	0.010	1167	0.041
485	0.081	969	0.061
488	0.010	977	0.030
988	0.030	480	0.101
1165/1	0.049	472	0.010
890/1	0.049	455	0.030
632	0.021	457	0.021
1164	0.030	452	0.040
968	0.041	540	0.041
974	0.049	547	0.041
484	0.010	538	0.010
474	0.061	637	0.049
454/1	0.021	635	0.010
461	0.010	631/1	0.031
456	0.021	990/2	0.049
453	0.010	1370	0.101
541	0.010		
537	0.080		योग . . . 2.569
543	0.041		
636	0.049	(3) भूमि का वर्णन—	
633	0.010	(क) जिला—शहडोल	
549	0.020	(ख) तहसील—जैतपुर	
976	0.061	(ग) ग्राम—हराटोला	
1372	0.020	(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.119 हेक्टर.	
1361	0.041	खसरा नम्बर	रकबा
1388	0.031		(हेक्टर में)
1369	0.061	(1)	(2)
1474	0.010	ग्राम—हराटोला, पटवारी हल्का मोहतरा नम्बर 13	
1476/1	0.061		
1274	0.049	220	0.030
1276	0.010	327/2	0.041
1263	0.021		
1260/1	0.040		
984	0.010		

(1)	(2)	(4) भूमि का वर्णन—	
318	0.021	(क) जिला—शहडोल	
328	0.049	(ख) तहसील—जैतपुर	
347/1	0.041	(ग) ग्राम—कचहर	
346	0.028	(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.613 हेक्टर.	
351	0.061		
353	0.041	खसरा नम्बर	रकबा
246	0.041		(हेक्टर में)
186	0.010	(1)	(2)
231	0.091	ग्राम—कचहर, पटवारी हल्का कचहर नम्बर 22	
216	0.050	986	1.023
185	0.061	1052/2	0.260
222	0.030	1035	0.032
377	0.571	1037	0.040
37	0.070	1050/4	0.201
39	0.021	1108/1क	0.647
45	0.030	1119	0.206
399/1क	0.015	1114	0.138
245	0.041	1116	0.134
310	0.021	1062	0.200
327/1	0.041	1034	0.045
375	0.121	1036	0.016
317	0.010	1038	0.028
326	0.010	1113	0.113
332	0.030	1110	1.011
33/1	0.121	1120	0.145
34	0.011	1115	0.113
352	0.091	1111/2	0.441
356	0.021	1117	0.255
242	0.010	1046	0.085
241	0.010	1050/1	0.040
227	0.010	1050/2	0.140
221	0.021	1105	0.382
184	0.041	1107	0.391
225	0.021	1108/1ग	0.324
150	0.030	1108/1ङ	0.162
38	0.010	1109	0.429
41/1	0.030	1128	0.089
53	0.049	1133/3	0.852
399/2	0.015	1045	0.097
308	0.021	1047	0.069
331	0.021	1062	0.120
344	0.010	1106	0.058
	योग . .	1108/1क	0.343
	<u>2.119</u>	1108/1ख	0.081

(1)	(2)	(1)	(2)
1108/1घ	0.162	496	0.474
1108/3	0.033	2/11	0.405
1111/1	0.405	37/2	0.069
1133/1	0.303	41	0.069
योग . .	<u>9.613</u>	481/8	0.073
		444/1	0.037
(5) भूमि का वर्णन—		446/2	0.283
(क) जिला—शहडोल		197	0.219
(ख) तहसील—जैतपुर		420	0.085
(ग) ग्राम—मलया		495/4	1.011
(घ) लगभग क्षेत्रफल—101.184 हेक्टर.		505/2	0.506
		38/1	0.057
		42/2	0.101
खसरा नम्बर	रकबा	373	0.061
	(हेक्टर में)	378	0.036
(1)	(2)	40	0.134
ग्राम—मलया, पटवारी हल्का मलया नम्बर 23		164/2	0.081
		377/2	0.040
483	0.202	481/7	0.117
33/1	0.198	61/1	0.055
38/2	0.020	161	0.231
382	0.022	163	0.387
443/1	0.041	195/1	0.081
445/3	0.020	486	0.101
447	0.093	488	0.028
419	0.089	490	0.129
423/1	0.057	492	0.174
28	0.886	494	0.287
37/1	0.020	367/2	0.020
39	0.045	462/3	0.607
164/1	0.081	54	0.182
377/1	0.049	65	0.012
481/6	0.117	67	0.020
42/1	0.061	72/2	0.182
367	0.028	2/9	1.416
384/1	0.010	208/1	0.055
9	0.053	422/1	0.060
62/2	0.038	94/5	0.041
162	0.049	173	0.057
189	0.045	443/2	0.052
196/1	0.251	449/5	0.041
487	0.081	461/1	1.214
489	0.016	3/1	0.340
491	0.263	76/1	0.202
493	0.061		

(1)	(2)	(1)	(2)
3/2	0.170	452/2	0.010
76/2	0.102	64/1	0.324
180/2	0.607	77/1	0.359
32/4	0.077	64/2	0.162
449/3	0.020	77/2	0.180
559/4	0.049	180/3	0.198
164/3	0.513	445/2	0.037
380/1	0.024	451/2	0.097
481/1	0.073	560/3	0.041
47	0.183	373/4	0.061
79	0.016	458/5	0.094
82	0.085	46	0.154
145	0.206	48	0.162
148	0.628	81	0.121
370	0.046	141	0.336
373/1	0.061	146	0.028
484/1	0.061	369	0.046
485	0.178	371	0.045
62/1	0.077	481/5	0.121
99	0.061	484	0.178
180/5	0.405	211	0.204
462/2	1.416	63/1	0.038
196/2	0.292	464/1	0.096
150	0.526	439/1	0.199
152	0.109	195/2	0.085
581	0.089	149	0.024
180/6	0.506	151	0.049
94/2	0.024	463	0.160
153	0.089	583	0.107
556	0.010	448	0.356
507	0.065	127/1	0.133
510	0.753	175/1	0.032
53	0.089	558	0.031
56	0.125	509	0.065
66	0.012	511	0.032
70	0.049	513	0.012
78/2	0.121	517	0.105
188	0.275	519	0.109
421/1	0.140	62/3	0.039
427/1	0.227	508	1.368
127/4	0.122	498/5	0.053
179/5	0.064	55	0.105
444/2	0.020	60	0.117
455/8	0.010	480/3	0.065

(1)	(2)	(1)	(2)
505	0.437	449/4	0.041
480/2	0.260	464/4	0.131
402/2	0.073	504	0.279
413	0.085	464/3	0.065
417	0.202	305/1ख	0.105
421/1	0.446	408	0.279
155	0.166	416/1	0.034
165	0.057	428/5	0.202
167	0.085	30/3	0.202
169	0.117	0164/5	0.050
171	0.178	166	0.040
478/2	0.575	168	0.134
16	0.117	170	0.093
18	0.113	172	0.057
20	0.049	15	0.093
22	0.125	17	0.125
451/1	0.081	19	0.117
459/1	0.405	21	0.162
460/2	0.490	449/1	0.020
180/7	0.202	559/1	0.061
91/3	0.061	459/2	0.445
559/3	0.040	8	0.918
32/2	0.077	32/3	0.081
176/3	0.184	179/2	0.093
515/2	0.048	495/2	0.405
91/1	0.041	91/2	0.032
449/2	0.020	559/2	0.040
557/2	0.032	32/1	0.077
498/2	0.053	176/2	0.161
94/3	0.024	540/1	0.065
175/2	0.041	497/2	0.809
453/2	0.061	499/1	0.591
426	0.077	127/2	0.121
95/2ख	0.067	179/3	0.081
253/2	0.028	425	0.089
255/2	0.069	439/2	0.100
257/2	0.013	96/2	0.077
456/3	0.192	254/2	0.061
514	0.210	256/2	0.069
518	0.117	436/2	0.328
61/2	0.054	570	0.024
498/1	0.081	180/9	0.202
10	0.522	367/3	0.135
499/4	0.595	457	0.487

(1)	(2)	(1)	(2)
409	0.089	356/1	0.368
411	0.043	436/1	0.328
415/2	0.020	569	0.223
421/3	0.224	410	0.028
95/2क	0.032	415	0.105
252/2	0.081	428/7	0.405
572	0.055	495/3	1.619
574	0.049	166/2	0.190
191	0.032	456/1	0.045
58	0.077	573	0.055
442	0.045	190	0.275
559/5	0.065	57	0.124
498/4	0.053	59	0.840
499/3	0.595	446/1	0.304
113	0.388	498/3	0.053
175/3	0.032	499/2	0.491
561	0.081	94/4	0.012
12	0.235	127/3	0.121
14	0.146	179/4	0.081
24	0.138	562/1	0.648
26	0.081	13	0.105
208	0.050	23	0.089
422/2	0.024	25	0.085
427/2	0.229	198	0.360
540	0.244	421/2	0.069
464/2	0.261	423/2	0.097
558/2	0.088	537/4	0.066
156	0.104	63/2	0.116
158	0.125	480/1	0.260
160	0.304	154	0.089
164/2	0.162	157	0.061
380/2	0.073	159	0.065
481/2	0.074	479	0.040
528	0.178	379/1	0.033
4	0.138	458/6	0.094
6	0.028	180/4	0.405
52	0.150	1473	0.526
69	0.016	5	0.097
72/1	0.162	7	0.069
80	0.032	68	0.032
484/2	0.259	71	0.016
33/2	0.198	78/1	0.093
381	0.053	481/4	0.069
461/2	0.267	440	0.704

(1)	(2)	(1)	(2)
379/2	0.105	346	0.113
481/3	0.074	348	0.045
73	0.393	352	0.717
74	0.174	354	0.057
375	0.162	49/2	0.162
402/1	0.101	75	0.016
428/2	0.202	376/1	0.182
429	0.182	407	0.174
431	0.595	428/6	0.405
134	0.089	430	0.109
136	0.093	130	0.579
186	0.231	135	0.267
178/2	0.336	180/8	0.202
482/2	0.328	187	0.384
575	0.223	456	0.214
87	0.077	549/2	0.131
89	0.138	86	0.093
133	0.170	88	0.109
474	0.186	90	0.170
476	0.101	473	0.166
506	0.685	475	0.368
537/2	0.101	477	0.235
500	0.105	659/2	0.674
34	0.437	497/3	2.023
308	0.041	29	0.809
404	0.239	501	0.372
406	0.050	502/1	0.101
428/3	0.809	403	0.016
432	0.105	405	0.065
434	0.020	414/2	0.101
114	0.065	428/4	0.073
116	0.138	433	0.109
124	0.057	521/2	0.445
336	0.154	115	0.012
349	0.178	123	0.036
435	0.016	335/2	0.882
401	0.214	338	0.163
98	0.101	424	0.049
107	0.093	376/2	0.206
118	0.097	412	0.261
120	0.032	103	0.040
334	0.073	117	0.081
340	0.170	119	0.101
343	0.085	121	0.053

(1)	(2)	(1)	(2)
339	0.348	27	0.628
342	0.065	50/1	0.125
345	0.093	83	0.081
347	0.057	85	0.081
350	0.049	192	0.231
353	0.117	199	0.231
359	0.478	30/2	0.507
50/2	0.162	558/2	0.047
129	0.401	562/1	0.648
132	0.239	571	0.105
194	0.040	131	0.093
101	0.162	193/1	0.269
502/2	0.603	100	0.125
43	0.267	184	0.150
45	0.275	36	1.210
104	0.016	44	0.117
106	0.012	102	0.040
143	0.073	105	0.045
92	0.032	142	0.032
94/1	0.012	144	0.352
96/1	0.077	93	0.097
108	0.134	55/1	0.069
174	0.032	97	0.125
177	0.263	122	0.065
179/1	0.061	176/1	0.161
184	0.024	178/1	0.332
253/1	0.028	183	0.368
255/1	0.117	252/1	0.077
257/1	0.012	254/1	0.061
341	0.105	256/1	0.073
351	0.106	258	0.020
356/2	0.809	344	0.142
358	0.073	355	0.101
361	0.113	357	0.579
363	0.109	360	0.243
365	0.235	362	0.053
445/1	0.020	364	0.170
1469/1	0.126	366	0.069
109	0.194	482/1	0.328
111	0.142	1472	0.198
126	0.466	110	0.113
137	0.134	125	0.259
139	0.077	128	0.263
251	0.073	138	0.138

(1)	(2)	(1)	(2)
250	0.105	925	0.279
11	2.092	927	0.093
49/1	0.134	929	0.206
51	0.101	931	0.218
84	0.109	933	0.279
140	0.138	1138/1	0.017
193/2	0.271	1140	0.057
478	0.575	885	0.340
372	0.749	808	0.255
559/5	0.065	811	0.129
562/2	0.648	813	0.093
580/2	2.023	819	0.081
योग . .	<u>101.184</u>	821	0.174
		823	0.170
(6) भूमि का वर्णन—		870	0.024
(क) जिला—शहडोल		552	0.227
(ख) तहसील—जैतपुर		985	0.409
(ग) ग्राम—घुघरी		461/1	0.020
(घ) लगभग क्षेत्रफल—66.367 हेक्टर.		999/4	0.081
		852	0.166
		935	0.138
खसरा नम्बर	रकबा	963/2	0.024
	(हेक्टर में)	986/1	0.223
(1)	(2)	589	0.036
ग्राम—घुघरी, पटवारी हल्का घुघरी, 14		497/2	0.054
977/2	0.185	803/2	0.101
588	0.332	877	0.093
489/2	0.051	999/2/2	0.200
498/2	0.067	1117/2	0.057
826/2	0.085	525	0.109
981/1	0.139	531	0.247
1016/2	0.235	494/1	0.144
524/1	0.057	1017/2	0.105
530	0.214	806	0.295
999/3	0.202	818	0.384
976/2	0.081	838	0.206
1018/2	0.061	495/2	0.030
809	0.291	987	0.255
837	0.129	921	0.115
494/2	0.143	924	0.089
855/1279	0.138	926	0.170
920	0.237	928	0.065
923	0.069	930	0.162
		932	0.247

(1)	(2)	(1)	(2)
1137/2/1	0.091	1010	0.073
1139/1	0.168	1012	0.016
884	0.275	1014	0.162
895/1	0.243	934	0.607
810	0.081	995	0.555
812	0.125	955	0.433
814	0.097	964/1	0.146
820	0.170	980/1	0.555
822	0.077	602	0.081
847	0.069	896/1	0.105
493/2	0.061	898	0.073
586/1	0.081	907	0.040
1000	0.194	909	0.045
988/4	0.030	911	0.061
495/1	0.030	913	0.020
854	0.257	915	0.372
960	0.223	938	0.085
955/2	0.024	941/2	0.450
966/2	0.129	979/2	0.158
1107	0.113	851	0.388
1146/2	0.121	936	0.105
918	0.267	1017/3	0.234
959	0.097	1108/2	0.081
1144	0.093	917	0.202
891/2	0.125	919	0.061
965/1	0.028	976/1	0.121
1018/1	0.125	876	0.409
1146/1	0.121	963/1	0.206
488	0.142	1017/1	0.028
800	0.093	1108/1	0.057
802	0.304	487	0.210
804	0.239	490	0.045
773	0.126	801	0.194
977/1	0.101	803/1	0.547
986/2	0.129	807	0.134
993	0.077	777	0.040
977/3	0.285	984/2	0.129
460	0.194	992	0.332
872	0.239	835	0.239
874	0.194	984/2	0.372
1002	0.287	844	0.091
1004	0.032	873	0.053
1006	0.036	1001	0.105
1008	0.024	1003	0.024

(1)	(2)	(1)	(2)
1005	0.081	869	0.117
1007	0.146	878	0.199
1009	0.158	881	0.085
1011	0.235	890	0.214
1013	0.061	893	0.053
1015	0.024	886	0.073
994	0.028	888	0.061
954	0.097	603	0.012
956	0.587	605	0.210
975/1	0.425	607	0.243
590	0.376	512	0.279
892	0.214	522	0.010
897	0.081	524/2	0.057
899/1	0.089	497	0.210
908	0.069	830	0.129
910	0.089	832	0.055
912	0.065	834	0.146
914	0.206	843	0.142
916/1	0.105	445	0.021
939/2	0.291	976/3	0.247
943	0.097	990	0.182
850	0.190	866	0.020
930	0.162	895/2	0.251
988/2	0.162	899/2	0.049
839	0.227	901	0.336
942	0.292	979/3	0.081
945	0.049	937	0.486
947	0.040	944	0.053
949	0.028	946	0.028
951	0.219	948	0.219
953	0.040	950	0.085
958/1	0.065	952	0.279
962	0.291	957	0.049
967	0.113	961	0.053
969	0.073	964/2	0.425
974	0.202	968	0.085
978	0.486	973	0.142
1256/1	0.030	975/2	0.400
500	0.032	980/2	0.065
504	0.098	499	0.036
551	0.086	501	0.016
584	0.295	532/1	0.021
493/1	0.166	583/1	0.210
996	0.045	585	0.539
586/4	0.283	586/2	0.182

(1)	(2)	(1)	(2)
997	0.045	799/1278	0.348
868	0.101	858	0.129
871	0.170	860	0.117
880	0.113	863/3	0.454
882	0.065	449	0.045
891/1	0.453	983	0.328
894	0.324	902/1	0.202
887	0.125	904	0.134
601	0.105	906	0.105
604	0.113	939/1	0.287
601	0.105	979/1	0.182
510	0.101	586/5	0.170
514	0.073	471	0.069
523	0.242	475	0.020
496	0.021	479	0.275
515	0.041	491	0.113
831	0.101	994	0.057
833	0.198	532/2	0.021
842	0.514	533	0.008
863/2	0.607	537	0.057
922	0.129	541	0.114
989	0.101	544/2	0.021
991	0.069	583/3	0.135
937/1262	0.809	857	1.590
896/2	0.049	586/2	0.182
900	0.170	596	0.057
902/2	0.360	598	0.146
1131	0.150	600	0.138
489/1	0.050	795	0.049
498/1	0.067	178	0.030
826/1	0.065	654	0.061
981/1	0.139	497/1	0.054
1016/1	0.235	803/2/1	0.101
779	0.458	879	0.138
780	0.563	999/2/1	0.205
770/1	0.362	776	0.089
864	0.502	805/2	0.567
958/2	0.061	778	0.435
1132	0.231	849	0.036
1134	0.057	867	0.142
1136	0.158	983/1284	0.146
586/3	0.194	1133	0.478
591	0.526	1135	0.036
593	0.154	1137/1	0.186
		587	0.190

(1)	(2)	(1)	(2)
592	0.258	152	0.049
594	0.154	198/1	0.030
856	1.590	184/1	0.041
859	0.433	161/1	0.049
861	0.813	156/1	0.090
799	0.884	124	0.070
982	0.470	185/1	0.081
1021	0.320	185/2	0.011
903	0.166	658/1	0.024
905	0.210	267/1	0.030
916/2	0.101	725/2	0.030
941/1	0.227	619	0.030
490	0.045	621	0.041
824	0.158	208	0.061
472	0.198	195	0.030
477	0.227	577	0.030
484	0.088	578	0.030
492	0.206	549	0.119
995	0.550	150	0.061
534	0.328	547	0.021
535	0.008	214	0.041
538	0.024	151	0.021
542	0.069	216/2	0.041
550	0.041	157	0.041
853	0.243	122	0.061
493/1	0.081	155/1	0.041
595	0.174	126	0.021
597	0.170	125	0.101
599	0.178	184/2	0.010
784	0.109	679	0.010
794	0.030	658/2	0.025
653	0.030	267/2	0.031
655	0.030	725/3	0.031
792	0.010		योग . . . 66.367
620	0.049		
199	0.049		
196	0.030		
566	0.041		
583/1	0.168		
550	0.041		
548	0.061		
216/1	0.040		
215	0.021		
213	0.021		

(2) जिसके लिये आवश्यकता है—मेहरो जलाशय योजना से प्रभावित निजी भूमि ग्राम टिकुरी की 1.724 हे. ग्राम रसमोहनी की 2.569 हे., ग्राम हर्राटोला की 2.119 हे., ग्राम कचहर की 9.613 हे., ग्राम मलया की 101.184 हे., ग्राम घुघरी की 66.367 हे. निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जैतपुर, जिला शहडोल, में किया जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-2013-फा. 572-प्र. क्र. 04-अ-82-2012-2013-853.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शहडोल

(ख) तहसील—जैतपुर

(ग) ग्राम—कन्ठीटोला

(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.621 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टर में)

(1)

(2)

ग्राम— कन्ठीटोला, पटवारी हल्का शाहपुर नम्बर 53

700/2	0.202	677	0.090
700/4	0.607	668	0.079
731/1	0.061	657	0.078
736/2क	0.066	654/1	0.081
734	0.073	654/2ख	0.020
737/2ख	0.060	659/2	0.020
749	1.007	661/2	0.040
739	0.154	111/1क	0.019
707	0.042	113	0.020
710	0.042	239	0.012
716	0.086	112	0.032
633	0.080	64/1	0.080
673	0.081	172/1	0.081
686	0.039	360	0.081
659/2	0.020	54	0.169
654/2क	0.020	37/1	0.080
661/1	0.020	35/1	0.020
666/2	0.030	36/2	0.098
666/1	0.020	45/2	0.080
112/1क	0.031	53/1	0.120
114/2	0.168	355	0.040
111/1ख	0.029	359	0.041
115/1	0.192	366	0.042
115/2	0.071	369	0.041
		362/2	0.062

(1)	(2)	(1)	(2)
345	0.051	233	0.041
365	0.041	802/2	0.198
367	0.081	833	0.092
370	0.038	829	0.040
362/1	0.061	814	0.020
		816/1ख	0.040
योग . .	<u>10.621</u>	467/1	0.040
(2) भूमि का वर्णन—		466	0.015
(क) जिला—शहडोल		465	0.045
(ख) तहसील—जैतपुर		471	0.041
(ग) ग्राम—शाहपुर		1107/5	0.709
(घ) लगभग क्षेत्रफल—23.652 हेक्टर.		1098/3	0.607
		1098/5	0.809
		1107/2	0.607
खसरा नम्बर	रकबा	1098/6/3	2.225
	(हेक्टर में)	1107/1	0.809
(1)	(2)	1098/8क	1.254
ग्राम—शाहपुर, पटवारी हल्का शाहपुर नम्बर 53		1099	0.085
1098/1	0.607	1103/2	0.048
1098/2	0.202	1100/1	0.141
1098/4	0.607	1102	0.308
1098/6/1	0.506	1104/1	0.182
1098/6/2	0.506	1107/3	0.607
1098/7	0.607	1107/4/क/2	0.202
1098/8क	0.162	1107/6क	0.809
1098/9	1.011	1107/7ग	1.214
1100/2	0.061	824/1	0.080
1104/2	0.081	1079/1क	0.020
1101	0.417	1075/1च	0.080
1103/1	0.260	1071	0.050
1106	0.660	1060/2	0.275
1107/4/क/1	0.202	1056/2	0.280
1107/4/क/3	0.202	785	0.280
1107/6ख	0.809	1661	0.004
1098/6/3	0.280	232	0.039
1079/2	0.020	526/2	0.280
1076	0.080	803	0.190
1072/2	0.160	827	0.015
1070/1क	0.280	813	0.098
828/2	0.166	816/1क	0.060
1063/1	0.280	816/2	0.280
807	0.004	467/2	0.016
1062	0.004	469	0.045
		457	0.048

(1)	(2)	(1)	(2)
456	0.080	8/2	0.701
450	0.101	10	0.526
446	0.079	20	0.599
211	0.081	21	0.454
230/1	0.041	62	0.294
218	0.121	64	0.146
230/2	0.042	69/3	0.243
188	0.081	67	0.36
146/2	0.081	71/2	1.003
246	0.118	4/2	1.011
448	0.121	2/2	0.563
439/1	0.078	3/1	0.174
217	0.490	3/2	0.174
192/2	0.076	3/2	0.174
19	0.161	4/1	0.809
192/2	0.071	7/1	0.023
146/1	0.082	4/3	0.607
146/3	0.084	4/4	0.607
122/4	0.162	7/2	0.046
योग . . .	<u>23.652</u>	9	0.069
		19/2	0.031
(3) भूमि का वर्णन—		16	0.102
(क) जिला—शहडोल		22/2	0.014
(ख) तहसील—जैतपुर		63	0.105
(ग) ग्राम—कराविन		65	0.206
(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.337 हेक्टर.		66	0.105
		70	0.085
		योग . . .	<u>12.337</u>

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
ग्राम—कराविन, पटवारी हल्का कराविन नम्बर 52	

1	0.219
405	0.243
2/3	0.809
5	0.174
6/1	0.182
6/2	0.182
69/2	0.243
8/1	0.607
19/1	0.030
69/1	0.417

(2) जिसके लिये आवश्यकता है—शाहपुर जलाशय योजना से प्रभावित निजी भूमि ग्राम कन्डीटोला की 10.621 हे. ग्राम शाहपुर की 23.652 हे. ग्राम कराविन की 12.337 हे. निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जैतपुर, जिला शहडोल में किया जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-2013-फा. 569-प्र. क्र. 05-अ-82-2012-2013-852.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह

घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

		(1)	(2)
अनुसूची		1612/1	0.035
		1629	0.096
		1627	0.154
(1) भूमि का वर्णन—		1614	0.498
(क) जिला—शहडोल		1437	0.125
(ख) तहसील—जैतपुर		1413/3	0.061
(ग) ग्राम—सिडली		1416	0.129
(घ) लगभग क्षेत्रफल—15.991 हेक्टर.		1420/1	0.226
		1422	0.162
खसरा नम्बर	रकबा	1433	0.267
	(हेक्टर में)	1606/1	0.251
(1)	(2)	1608	0.202
ग्राम—सिडली, पटवारी हल्का सिडली नम्बर 40		1624/1	0.421
		1393	0.394
1612/2	0.034	1631/1	0.020
1628	0.081	1380/2	0.405
1413/2	0.065	1419/2	0.101
1613	0.092	1435	0.105
1636/2	0.060	1606/2	0.105
1438	0.081	1624/2	0.101
1415	0.316	1425	0.404
1419/1	0.069	1376	0.186
1421	0.207	1378	0.170
1424	0.267	1383	0.028
1605	0.090	1381/1	0.125
1607/1	0.121	1382	0.125
1609	0.150	1386	0.057
1392	0.117	1388	0.150
1380/1	0.263	1417	0.304
1631/2	0.020	1626	0.526
1418	0.219	1390	0.190
1420/2	0.061	1394	0.105
1436/1	0.069	1396	0.595
1607/2	0.304	1398	0.142
1423	0.223	1400/1	0.106
1445	0.166	1406	0.595
1377	0.138	1412	0.700
1414	0.478	1428	0.235
1384	0.016	1430	0.255
1381/2	0.150	1400/2	0.303
1385	0.016	1404	0.299
1387	0.166	1391	0.170
1413/1	0.113	1395	0.053
1611	0.186		

(1)	(2)	(1)	(2)
1397	0.097	1330	0.056
1399	0.020	1506	0.036
1405	0.600	434/1	0.017
1407	0.070	435	0.052
14727	0.036	286/2	0.020
1429	0.400	579	0.056
1631/3	0.020	273	0.015
1403	0.174	685	0.032
1617	0.555	1495/1	0.020
योग . .	<u>15.991</u>	1495	0.040
		1497	0.040
		274	0.060
(2) भूमि का वर्णन—		577/1	0.026
(क) जिला—शहडोल		235	0.104
(ख) तहसील—जैतपुर		260	0.048
(ग) ग्राम—ढोलकू		263	0.030
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.020 हेक्टर.		1501	0.052
खसरा नम्बर	रकबा	1503	0.040
	(हेक्टर में)	1505	0.040
(1)	(2)	573/2क	0.050
ग्राम—ढोलकू, पटवारी हल्का ढोलकू नम्बर 37		215	0.032
		218	0.032
434/3	0.018	697 ल	0.048
718	0.028	699	0.052
667	0.020	277	0.048
446	0.040	287/2	0.028
1495/2	0.020	726	0.032
1496/1	0.048	577/2	0.026
665	0.024	1531	0.036
595	0.060	751	0.030
581	0.072	284/2	0.010
236	0.030	287/1ख	0.014
261	0.060	291/2ख	0.012
264	0.040	668	0.028
1502	0.060	1496/2	0.048
1504	0.036	445	0.028
1507	0.020	451	0.028
214	0.020	448	0.068
216	0.020	596	0.052
221	0.015	666	0.028
698	0.044	680/2	0.004
275/1	0.044	222	0.015
285	0.080	681/1	0.026
291/1	0.036	593	0.058

(1)	(2)	(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.357 हेक्टर.	
		खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
		(1)	(2)
659	0.028		
589/1	0.060		
219	0.056		
286/1	0.020		
291/2क	0.012		
408	0.320	779/2	0.020
275/2	0.044	1074	0.020
442	0.080	695/1ख	0.022
681/2	0.026	483	0.030
719	0.030	704/2	0.036
721	0.060	717	0.044
664	0.048	683/2	0.050
592/1	0.015	762/1	0.024
427	0.032	827/1	0.060
447	0.060	826	0.036
730	0.060	699	0.020
589/2	0.060	775/1/1	0.030
597	0.028	683/1	0.074
680/1	0.004	688/3	0.024
694	0.020	681	0.040
684	0.060	780/1/2	0.015
592/2	0.015	780/2	0.015
594	0.020	481	0.060
450	0.008	684	0.064
425	0.060	697	0.040
284/1	0.010	700	0.040
287/1क	0.014	695/3	0.022
573/1	0.100	762/3	0.240
426	0.032	698	0.040
434/2	0.017	682/2	0.028
1532	0.060	1090	0.040
1331	0.040	762/2	0.024
720	0.069	827/2	0.060
		775/2	0.060
		695/1क	0.022
		682/1	0.028
		688/2	0.024
		689/1	0.040
		1718/1	0.015
		718/2	0.020
		775/1/2	0.030
		690/1	0.024
		715	0.015
		688/1	0.024
	योग . .		
	<u>4.020</u>		
(3) भूमि का वर्णन—			
(क) जिला—शहडोल			
(ख) तहसील—जैतपुर			
(ग) ग्राम—बलबहरा			

(1)	(2)	(1)	(2)
689/2	0.040	836/1	0.235
828	0.104	791/2	0.181
830	0.096	1774/2	0.750
836	0.072	1673/2	1.619
776	0.060	1825	0.624
1089	0.032	835/2	0.260
718/1/1	0.020	1775/3	0.809
779/1	0.020	1672/2	0.210
716	0.060	829	0.121
704/1	0.036	831	0.316
702	0.008	1678/1ख	1.105
829	0.061	822	0.251
835	0.192	825	0.032
780/1/3	0.015	827	0.036
680	0.020	1824	0.129
765/2	0.015	804/1	0.405
780/1/1	0.015	823/2	0.405
765/1	0.015	795/3	0.180
योग . . .	<u>2.357</u>	807	0.036
(4) भूमि का वर्णन—		813/1	0.131
(क) जिला—शहडोल		840	0.380
(ख) तहसील—जैतपुर		784/2	0.061
(ग) ग्राम—बरगवां		787/2	0.369
(घ) लगभग क्षेत्रफल—36.097 हेक्टर.		839/2	0.101
		1665	0.606
		1674	0.664
		1676	0.308
खसरा नम्बर	रकबा	1827	0.178
	(हेक्टर में)	820/2	0.607
(1)	(2)	1672/1	0.683
ग्राम—बरगवां, पटवारी हल्का बरगवां नम्बर 39		782/2	0.302
795/1	0.054	1662	0.087
808	0.028	795/4	0.304
1663/4	0.064	1663/5	0.064
783/2	0.105	782/1	0.564
786/2	0.072	1673/3	1.214
833/2	0.182	1671	0.138
1829	0.170	836/2	0.239
841	0.047	830	0.672
1675	0.117	1667/2	0.825
1677	0.393	809	0.202
838	0.798	824	0.077
828	0.995	826	0.049
		1823	0.057

(1)	(2)	(1)	(2)
795/3	0.040	1741	0.036
818/2	0.619	1241	0.016
1670	0.761	1508	0.120
775	0.060	1444	0.024
789	0.008	1766/2	0.027
767/1	0.030	1509/4	0.024
805	0.089	1142	0.020
813/2	0.193	790	0.061
821/2	0.049	791/1	0.420
788	0.040	806/2	0.133
821/1	0.405	819/2	0.223
1663/2	0.064	823/1	0.085
815	0.061	818/1ख	0.101
817	0.057	1663/3	0.064
818/1क	0.113	814	0.514
837	0.243	816	0.053
1667/1	1.121	806/1	0.134
1842/2	0.044	819/1	0.221
784/1	0.020	1666	0.312
787/1	0.264	835/1	0.405
776	0.202	783/3क	0.239
779	0.117	786/1	0.076
781	0.049	783/1ख	0.048
834	0.295	778	0.077
833/1	0.202	780	0.016
535/3	0.230	1842/1	0.045
791/3	0.166	783/1क	0.033
820/3	0.607	839/1	0.405
783/3ख	0.040	782/3	0.202
786/3	0.370	767/2	0.030
810	0.097	785	0.247
812	0.049	784/3	0.150
422/3ख	0.002	1678/3	0.983
442/4	0.002	811	0.012
927/2	0.032	1822	0.162
916/2	0.020	428/2क	0.020
1727/2	0.004	427/5	0.040
1766/3	0.027	1743/2	0.028
1751	0.032	1720/2	0.018
1770/2	0.014	1440	0.024
428/2ख	0.020	1751	0.032
923/3	0.032	1753	0.028
1031	0.020	1729	0.060
1506/1	0.006	927/1	0.032

(1)	(2)	(1)	(2)
1029	0.044	963	0.040
444/1	0.050	1510/1	0.016
442/3क	0.002	1224	0.024
1506/2	0.006	1720/1	0.018
1844	0.012	1743/1	0.028
1443	0.080	1161	0.072
1282/3	0.008	946	0.036
1509/3	0.024	1717/1	0.030
1449	0.008	918/1	0.036
1286/1	0.032	919/1	0.032
997	0.040	1737	0.020
1244	0.052	1150	0.050
1286/2	0.032	960/2	0.040
455	0.034	953	0.052
1035	0.040	453	0.056
1041	0.040	456	0.036
1305	0.010	1040	0.056
1313	0.040	1154	0.032
428/3	0.040	1312	0.052
960/1	0.040	1288/2	0.027
427/1क	0.015	995	0.164
461/1	0.026	444/2	0.012
1290	0.072	427/1ड	0.015
1706	0.060	926/2	0.035
1750	0.028	1282/1	0.008
427/2	0.040	1707	0.010
450	0.092	316	0.040
1155	0.096	427/4	0.040
442/2	0.002	452	0.028
461/2	0.026	1141	0.044
1282/2	0.008	1717/3	0.030
1297	0.032	319	0.016
1436	0.052	427/1ख	0.015
919/2	0.032	1315	0.080
1749	0.008	1439	0.080
1032	0.104	1509/2	0.024
1510/2	0.016	1755/2	0.060
916/3	0.020	1033	0.056
1725	0.008	1511/2	0.004
1295	0.030	918/2	0.036
1042	0.048	427/1ग	0.015
926/3	0.035	1296	0.032
1288/1	0.027	926/1	0.035
961	0.052	1766/4	0.027

(1)	(2)	(1)	(2)
427/1च	0.015	830/2	0.147
962	0.040	887	0.251
1770/1	0.014	732/2	0.077
1511/1	0.004	766	0.356
916/1	0.020	2	0.112
1727/1	0.004	5	0.020
427/1घ	0.015	7	0.372
945	0.056	10	0.607
1509/5	0.024	13	0.049
1717/2	0.030	764	0.202
1720/3	0.018	767/2	0.113
1509/1	0.024	768/2	0.101
1755/1	0.060	840/3	0.688
1151	0.024	820	0.328
योग . .	<u>36.097</u>	834	0.652
(5) भूमि का वर्णन—		846/9	0.405
(क) जिला—शहडोल		848	0.166
(ख) तहसील—जैतपुर		850	0.142
(ग) ग्राम—जमुडी		795	0.182
(घ) लगभग क्षेत्रफल—86.661 हेक्टर.		797	0.235
खसरा नम्बर	रकबा	824	0.206
	(हेक्टर में)	714	0.080
(1)	(2)	747	0.271
ग्राम—जमुडी, पटवारी हल्का बरगवां, नम्बर 39		750	0.668
692	0.275	693/1ख	0.069
841/2	0.688	463	0.038
464	0.150	465	0.190
466	0.194	467	0.445
468	0.101	688	0.060
690	0.176	724	0.085
725	0.384	726	0.105
880	0.050	881	0.050
731	0.291	589	0.295
680	0.219	305/1	0.276
739/1	0.081	723	0.178
584/3ब	0.202	722/2	0.243
737	0.344	738	0.206
741	0.061	761	0.332
762	0.320	826/4	0.813
827	0.299	831/2	0.215
812/4	1.416	879	0.112
753	0.166		

(1)	(2)	(1)	(2)
826/2	0.813	845	0.510
831/1	0.210	851	0.142
888	0.356	918/4	0.607
733	0.202	826/1	0.207
767/1	0.109	889	0.255
4	0.221	800	0.413
6	0.234	803	0.190
9	0.020	716	0.063
11/2	0.205	719	0.061
732/1	0.153	679/1	1.853
765	0.195	679/2	0.624
768/1	0.097	832/1	0.340
771	0.283	780	0.360
819	0.210	804	0.139
833	0.417	916	0.340
666/2	0.074	919	0.603
846/1433	0.486	923	0.214
849	0.247	674	0.136
666/3	0.073	854/1	0.032
796	0.324	855	0.421
822	0.223	826/5	0.210
829	0.926	823	0.210
746	0.368	770	0.166
749	0.603	775	0.567
751	0.765	830/3	0.147
752	0.522	713	0.061
757	0.190	728	0.200
812/3	0.388	678/1ख	0.613
812/2	0.607	843/1ग	0.485
821	0.182	809/6	0.182
836	0.652	844	0.547
470	0.068	756	2.213
843/3	1.214	842	0.829
684	1.676	846/10	0.809
892/2	0.148	809/1	0.182
474	0.045	835	0.539
893	0.380	469	0.324
870	0.150	843/2	1.214
852	0.316	843/1ख	2.032
666/1	0.073	475/2	0.104
678/2	0.526	599	0.190

(1)	(2)	(1)	(2)
892/1	0.170	590	0.308
896/2	0.809	592	0.235
812/6	0.809	682/2	0.170
853	0.206	891	0.437
846/1ख	0.607	739/2	0.385
691	0.125	745	0.142
847	0.441	838	0.462
839	0.733	840/2	0.809
832/2	0.336	830/8	0.890
830/5	0.040	815	0.162
890	0.263	817	0.384
801	0.166	907/1	0.202
715	0.070	909/1	0.065
718	0.198	911/1	0.420
720	0.178	907/3	0.154
686	0.146	911/2	0.421
826/3	0.405	841/3	0.405
769	0.219	758/2	0.016
802	0.202	907/2	0.202
915	0.441	892/3	0.148
318/3	0.793	743	0.259
922	0.455	760	0.482
673	0.230	918/2	0.809
809/8	0.091	735	0.138
854/2	0.064	773	0.129
675	0.174	830/9	0.223
830/6	0.040	1001/1	0.050
825	0.174	1004	0.020
774	0.656	1012	0.032
809/7	0.486	1061	0.040
830/7	0.111	1009/2	0.030
727	0.397	1035	0.040
736	0.247	1067/2	0.018
840/1	0.890	1052/2	0.026
809/5	0.182	1055	0.048
809/3	0.182	1052/1	0.026
846/4	0.405	1091	0.044
846/8	0.304	928/2	0.015
882	0.302	928/1	0.015
884	0.072	922	0.050

(1)	(2)	(1)	(2)
929	0.320	1053/2	0.010
1070	0.048	1092/2	0.020
1010/2	0.034	1056/1	0.018
1065	0.056	1092/1	0.020
846/11	0.202	1028	0.120
883	0.045	914	0.140
305/2	0.267	926	0.700
591	0.077	1069	0.015
593अ	0.154	1009/1	0.030
846/5	1.193	1034/1	0.030
584/1	0.065	1067/1	0.018
722/1	0.121	1068/2	0.016
799	0.122	1073	0.048
894	0.886	966	0.050
846/6	1.206	982/1	0.015
814	0.441	1001/2	0.050
816	0.227	979	0.036
818	0.190	1010/1	0.034
908	0.458	1068/1	0.016
910	0.271	1074	0.020
693/1क	0.506	980	0.040
909/2	0.421	982/2	0.015
776	0.040	965	0.692
584/2	0.150	981	0.060
794/2	1.011	1001/3	0.050
475/1	0.105		
687	0.676		योग . . . <u>86.661</u>
759	0.486		
763	0.178	(2)	जिसके लिये आवश्यकता है—बरगवा जलाशय योजना के निर्माण से प्रभावित निजी भूमि ग्राम बरगवा की 36.097 हे., ग्राम बलबहरा की 2.357 हे., ग्राम ढोलकु की 4.020 हे., ग्राम सिडली की 15.991 हे., ग्राम जमुडी की 86.661 हे. निजी भूमि का अर्जन.
734	0.729		
772	0.401		
812/7	1.416	(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जैतपुर, जिला शहडोल में किया जा सकता है.
1057	0.040		
1003	0.060		
1008	0.060		
1053/1	0.010		
1062	0.052		
1034/2	0.030		
1089	0.052		
1056/2	0.018		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 30 जनवरी 2013

क्र. D-635-दो-3-103-2008.—श्री एम. एच. कार्निंक, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इन्दौर खण्डपीठ इन्दौर को दिनांक 11 फरवरी से 26 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चवालीस दिन का अर्जित अवकाश मध्यप्रदेश सिविल सेवा अवकाश (नियम), 1977 के नियम 33 के अनुसार सेवानिवृत्ति पूर्व स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 से 10 फरवरी 2013 तक के तथा पश्चात् में दिनांक 27 से 29 मार्च 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एम. एच. कार्निंक, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इन्दौर खण्डपीठ इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. एच. कार्निंक उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति के आदेशानुसार,

एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 30 जनवरी 2013

क्र. C-933-दो-2-69-2000.—श्री आनन्द मोहन खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 28 जनवरी से 2 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 26 से 27 जनवरी 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द मोहन खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनन्द मोहन खरे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-935-दो-2-30-2007.—श्री बी. पी. माहेश्वरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को दिनांक 28 से 31 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 जनवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री बी. पी. माहेश्वरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. पी. माहेश्वरी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-937-दो-2-20-2005.—श्री डी. के. पालीवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को दिनांक 26 से 27 दिसम्बर 2012 तक दो दिन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 28 से 29 दिसम्बर 2012 तक दो दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर के एवं पश्चात् में दिनांक 30 दिसम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. पालीवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश/शीतकालीन अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. के. पालीवाल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-939-दो-2-11-2011.—श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 4 से 11 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 8 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 एवं 13 जनवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्याम कुमार मण्डलोई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-941-दो-2-53-2009.— श्री एम.पी.एस. अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 20 से 22 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एम.पी.एस. अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. पी. एस. अरोरा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-943-दो-2-33-2010.— श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को दिनांक 19 से 20 नवम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-945-दो-2-15-2008.— श्रीमती अंजुली पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को दिनांक 16 नवम्बर 2012 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती अंजुली पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अंजुली पालो उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-951-दो-2-3-2008.— श्री हरिश्चन्द्र शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 29 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री हरिश्चन्द्र शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हरिश्चन्द्र शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-637-दो-2-45-2011.— श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 19 से 30 नवम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए बारह दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मीना भट्ट, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-639-दो-2-27-2011.— श्री जे. पी. माहेश्वरी, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह वर्तमान में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 17 से 22 दिसम्बर 2012 तक छः दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 20 से 22 दिसम्बर 2012 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.

Jabalpur, dated 28th January 2013

No. 944-CJ-I-161.—Vide order No. C-2785-C.J.I.-161, dated 2nd May 2005, Shri Ashok Kumar Jain, the then Additional District Judge, Satna was placed under suspension with immediate effect and was directed that during pendency of departmental enquiry, his headquarter shall be at Alirajpur.

Vide Order No.C-4410, dated 23rd August 2005, headquarter of Shri Ashok Kumar Jain, during period of suspension was changed from Alirajpur to Dhar.

As directed headquarter of Shri Ashok Kumar Jain, the then Additional District Judge, Satna Shall be at District Court, Jabalpur. Hence, Shri Ashok Kumar Jain is directed to submit his joining report within Seven days, from the date of receipt of this order, District Judge, Jabalpur is hereby authorized for payment of Subsistence Allowance as per rule.

By order of the High Court,
Jabalpur : M. K. MUDGAL
Dated : 28th January 2013. Principal Registrar,
(Inspection & Vigilance).

जबलपुर, दिनांक 30 जनवरी 2013

क्र. D-686-दो-2-34-2012.—श्री आर. सी. श्रीवास्तव, ओ.एस.डी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 30 दिसम्बर 2012 से 4 जनवरी 2013 तक, छः दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में दिनांक 3 से 4 जनवरी 2013 तक दो दिन का अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 30 जनवरी 2013

शुद्धि-पत्र

क्र. C-924-तीन-10-40-78-संशोधन-7.—उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर एतद्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 8 नवम्बर, 2012 में प्रकाशित अपनी अधिसूचना क्रमांक डी-5446-

जबलपुर, दिनांक 18 जनवरी 2013

क्र. 87-गोपनीय-2013-दो-3-1-2013 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ (5) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है :-

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री मोहम्मद मूसा खान, उप कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर	भोपाल	मंदसौर	मंदसौर	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.

तीन-10-40-78-संशोधन (भाग-7), दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 के अंग्रेजी संस्करण में निम्नलिखित शुद्धिपत्र जारी करता है :-

“अंग्रेजी संस्करण के पृष्ठ क्रमांक 942(10) के अनुक्रमांक 5 के कॉलम नं. (6) में सेंधवा के सामने अंक 2 के स्थान पर अंक 1 पढ़ा जावे.”

CORRIGENDUM

The High Court of Madhya Pradesh hereby issues corrigendum of the English version of its Notification No.D-5446-III-10-40-78-Amendment (Pt.-VII) dated 19th October 2012 which was published in Madhya Pradesh Rajpatra (Extra-ordinary), dated 8th November 2012 as under :-

“In the English Version at Page No. 942(10) Column No. (6) of Serial No. 5 the number written as “2” be read as “1” in front of Sendhwa.”

अभय कुमार, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 23 जनवरी 2013

क्र. 122-गोपनीय-2013-दो-3-4-2013.—उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, कुमारी सपना भारती, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, अलीराजपुर का विवाह उपरान्त नाम परिवर्तन “श्रीमती सपना भारती कतरौलिया” पति “श्री संतोष कतरौलिया” करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है। उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे।

आदेशानुसार
सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.